

Response for DVV Remarks 3.4.2

1. With reference to 3.4.2, "Total no of patents awarded", the DVV has reviewed only 4 out of the 35 claims made by the University concerning patents. It appears that the university-bred varieties, has not been considered in the context of patent protection. It is important to highlight that plant varieties themselves cannot be patented under Indian patent law, Government of India has established a sui generis system under the **PPVFR Act, 2001** that is analogous to patent protection and aligns with India's international obligations under the World Trade Organization's Intellectual Property Rights (IPR) regulations. Under the PPV&FR Act, a plant variety that is registered is granted exclusive rights for a period of 15 to 18 years, to the breeder, like those conferred by a patent. These exclusive rights include the right to produce, sell, market, distribute, or use the plant variety for commercial purposes.
2. Upon inspection, we discovered that along with the information of released varieties notifications issued by Govt. of India, we have inadvertently missed uploading the registration certificate issued by PPVFR authority, Govt. of India.
3. In this context, I kindly request that you consider the protection granted to the plant varieties and germplasm developed by the Institute, which have contributed significantly to enhancing agricultural production and productivity. These efforts have not only benefited farmers but have also played a vital role in ensuring food security for both the nation and the world at large. Recognizing and respecting these efforts is crucial for securing the nation's food security and nutritional needs.

For further details, please refer to the following link.

<https://naarm.org.in/VirtualLearning/vlc/iprpvp.htm>



Vice Chancellor
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishva Vidyalaya
Gwalior (M.P.)-474002



प्रो. अरविन्द कुमार शुक्ला
कुलपति
Prof. Arvind Kumar Shukla
Vice-Chancellor

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya,
Raja Pancham Singh Marg, Gwalior (M.P.) – 474 002
(An ISO Certified 9001:2008)
Tel: 0751 – 2970502, Fax: 0751 – 2970504,
E-mail: vcvsaugwa@mp.gov.in; vc@rvskvv.net

No./VC/2024-25/2416
Date: 12/12/2024


CERTIFICATE

This is to certify that the University-bred plant varieties are making substantial contributions to science and society, similar to those achieved through patented inventions. These contributions have significant economic, environmental, and societal impacts, aligning with the goals of UGC and NAAC in recognizing meaningful research outputs.

As the Vice Chancellor of RVSKVV, Gwalior, I hereby affirm the recognition of the **Suigeneris system** offers under the **PPVFR Act, 2001** for the protection of plant varieties based on criteria that focus on distinctness, uniformity, and stability of the variety, distinct from the conventional patent laws. The PPV&FR Act provides legal protection that is recognized internationally, especially in countries that are members of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). India's adherence to the UPOV Convention, along with its compliance with the TRIPS Agreement, ensures that varieties developed and protected under the PPV&FR Act are respected globally, providing the breeder with equivalent legal protections as those afforded to patent holders in other jurisdictions.

Under the PPV&FR Act, a plant variety that is registered is granted exclusive rights to the breeder, similar to those conferred by a patent. These exclusive rights include the right to produce, sell, market, distribute, or use the plant variety for commercial purposes. The exclusive rights are granted for a specified period, typically 15 years for extant and new varieties, and up to 18 years for farmers' varieties. The breeder has the right to prevent unauthorized use or infringement of the variety, much in the same manner as a patent holder has the exclusive right to prevent others from using, making, or selling a patented invention without authorization.

The certificate is issued for the incorporation of related information in Self Study Report under Qn M 3.4.2 for obtaining NAAC Accreditation.


(Arvind Kumar Shukla)

3.4.2 Number of Patents awarded during the last five years

3.4.2.1: Total number of Patents awarded year-wise during the last five years

Name of the Faculty/student author of the patent	Patent Number	Date of Award	Patent Awarding Agency
RVSKVV-KVK, Jhabua	GI Tag No. 378	25.06.2024	Geographical Indication Registry
RVSKVV, GWALIOR	ISO Certificate No: 24MEEST07	18.05.2024	Magnitude Management Services Pvt Ltd
Dr S K Sharma	Copyright Diary No: 17027/2024-CO/A	28.05.2024	Ministry of Commerce and Industry
RVSKVV, GWALIOR	RAJVIJAY TRADE MARK	30.03.2019	GOI Trade Marks Registry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 101 (JSC 42) [Reg. no. REG/2020/377]	06-09-2023	Plant Varieties Registry, PPVFR Authority, New Delhi Govt. of India
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) [Reg. no. REG/2020/373]	15/11/2022	Plant Varieties Registry, PPVFR Authority, New Delhi Govt. of India
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 202 (RVG 202) [Reg. no. REG/2020/375]	15/11/2022	Plant Varieties Registry, PPVFR Authority, New Delhi Govt. of India
Dr. Usha Saxena & Dr. Dabolkar	Raj Vijay Jwar 1862 (RVY 1862) [Reg. no. REG/2020/337]	11-02-2021	Plant Varieties Registry, PPVFR Authority, New Delhi Govt. of India
Tirunima Patle & Dr S K Sharma	Application Number 202221026571 Patent Number 429084	17.04.2023	The Patent Office, GOI
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 2021 (RVKG 2021) [S.O. 1560 (E)]	26.03.2024	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 2K21 [S.O. 1560 (E)]	26.03.2024	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Ashok Saxena	Pigeonpea (04), RVSA 14-2, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Ashok Saxena & Dr Lekharam	Lentil (05), RVL 15-4, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena	Urd, RVSU -1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena	Moong (02), RVSM-1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Induswoorup	Moong (02), RVIM 750-1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Sudhanshu Jain	Wheat (03), TRVW 155, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr S R Ramgiry	Raj Vijay Soybean 76 (RVS 76) [S.O. 2986 (E)]	20.07.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M K Saxena	Safflower (04), RVSF 18-3, SVRC	06.03.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M K Saxena	Safflower (04), RVSF 18-1, Cetrally Notified	04.12.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr S R Ramgiry	Soybean (06), RVS 124 (Raj vijay soybean 124)	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr V K Tiwari	Soybean (06), RVSM 2011-35, S.O.2986 (E)	20.07.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 210 [S.O. 500 (E) 05.01.2021]	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 121 (RVKG 121) [S.O. 500 (E)]	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 2020 (RVKG 2020) [S.O. 500 (E)]	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A N Tikle	Raj Vijay Sehore Arhar 16-1 (RVSA 16-1) [S.O. 3482 (E)]	07.10.2020	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 205 (RVG 205) [S.O. 3220 (E)]	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 151 (RVKG 151) [S.O. 3220 (E)]	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 111 (RVKG 111) [S.O. 3220 (E)]	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A K Saxena	Raj Vijay Lentil 13-5 (RVL 13-5) [S.O. 3220 (E)]	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A K Saxena	Raj Vijay Lentil 13-7 (RVL 13-7) [S.O. 3220 (E)]	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr D K Shrivastav	Cotton (02), RVK 11, (SO 3220 (E)	06.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr H Patidar	Safed Musali (02), Raj Vijay Safed Musli-412, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr H Patidar	Asalio / Chandrasoor, Raj Vijay Asalio-1001, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava (04), Gwalior-Bahar, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry

Verified

Registrar

R.V.S.K.V.V., Gwalior

Director Research Services
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474002

Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-8, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-21, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-27, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry

In case of patents obtained outside India, provide us one of the following:

1. If the Indian Patent application is filed for the corresponding foreign patent, please provide us the current status of the Indian Patent application
2. If you have filed the foreign patent without filing corresponding Indian Patent application, please provide us a copy of foreign filing license obtained from Indian Patent office as per Section 39 of Indian Patent act, 1970.

Verified

Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior


Director Research Services
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474002



प्रो. अरविन्द कुमार शुक्ला
कुलगुरु
Prof. Arvind Kumar Shukla
Vice-Chancellor


राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya,
Raja Pancham Singh Marg, Gwalior (M.P.) – 474 002
(An ISO Certified 9001:2008)
Tel: 0751 – 2970502, Fax: 0751 – 2970504,
E-mail: vcrvsaugwa@mp.gov.in; vc@rvskvv.net

No./VC/2024-25/1484
Date: 29/08/24

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the university-bred plant varieties are making substantial contributions to science and society, similar to those achieved through patented inventions. These contributions have significant economic, environmental, and societal impacts, aligning with the goals of UGC and NAAC in recognizing meaningful research outputs.

As the Vice Chancellor of RVSKVV, Gwalior, I hereby affirm the recognition of the Sui generis system offers under the PPVFR Act, 2001 for the protection of university-bred plant varieties under patent section in the UGC NAAC framework due to their nature as intellectual property, their contribution to innovation and research, and their alignment with the broader goals of recognizing and fostering diverse research outputs. I hereby also affirm the registration of "Raj Vijay" as a trademark and authorize its use in accordance with the policies and guidelines established by the university.


(Arvind Kumar Shukla)

कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला झाबुआ (म.प्र.)

veterinjha@nic.in, ddvs.ahjha@mp.gov.in, phone no. 07392-244354

क्रमांक 1631 / योजना / 2024-25 /

झाबुआ दिनांक 25.06.2024

// प्रमाण-पत्र //

यह प्रमाणित किया जाता है कि कड़कनाथ ब्रीड की जी.आई टैगिंग हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, झाबुआ द्वारा कड़कनाथ ब्रीड पर आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं कड़कनाथ ब्रीड की उत्पत्ति के ऐतिहासिक अभिलेखों तथा ब्रीड की विशिष्ट विशेषताओं के आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने एवं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराकर जी.आई टैग प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग किया गया।

R.V.S.

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

WAW

उप संचालक

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

जिला झाबुआ (म.प्र.)
1903502001

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

प्ररूप O-2



बौद्धिक
सम्पदा भारत



FORM O-2



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री
Geographical Indication Registry

वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999
Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999

धारा 16 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा धारा 17 (3) (ई) के अधीन प्राधिकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
Certificate of Registration of Geographical Indication under section 16 (1) or of authorised user under section 17(3)(e)

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:

Geographical Indication No.: 378

CERTIFICATE NO. 321

प्राधिकृत उपयोक्ता संख्या
Authorised user No.:

दिनांक

Date: 08.02.2012

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी समाकृति इसके साथ उपाबद्ध है) / प्राधिकृत उपयोक्ता

के नाम से

वर्ग में

संख्या के अधीन

दिनांक को

के लिए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

Certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto)/ authorised user has been registered in the register in the name of

Gramin Vikas Trust, (Established & Supported by KRIBHCO-Government of India)

Shiv Villa, Ramkrishna Nagar, Jhabua – 457661 Madhya Pradesh, India. Facilitated by: Department of Animal Husbandry, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

in class

29

under no.

378

as of the date

08.02.2012

in respect of

"Jhabua Kadaknath Black Chicken Meat"

Falling in Class – 29 – Poultry Meat



आज दिनांक

माह

20

को चेन्नई में मेरे निदेश पर मुद्रांकित किया गया।

Sealed at my direction this

30th day of

July

20 18

at Chennai.

pub

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन
Registrar of Geographical Indication.

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

ISO 14001:2015

Certificate of Registration

This is to Certify That
Environmental Management System of

**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI
VISHWAVIDYALAYA**

RACE COURSE ROAD, GWALIOR, MADHYA PRADESH - 474002,
INDIA

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 14001:2015


for the following scope :


PROVIDING ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR THE EDUCATION, RESEARCH
AND EXTENSION ACTIVITIES FOR ENHANCING PRODUCTIVITY
OPTIMIZATION OF PROFIT AND SUSTAINABILITY OF AGRICULTURE
PRODUCTION SYSTEM.

Certificate No	: 24MEEST07		
Initial Registration Date	: 18/05/2024	Issuance Date	: 18/05/2024
Date of Expiry	: 17/05/2027		
1st Surve. Due	: 18/04/2025	2nd Surve. Due	: 18/04/2026

Verified

Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior


Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)


DIRECTOR

Magnitude Management Services Pvt. Ltd.



This is not a self-declaration. It is a certificate of registration issued by the Registrar, R.V.S.K.V.V., Gwalior, Madhya Pradesh, India. e-mail: registrar@rsvkvv.org
*Subject to successful surveillance audits in case surveillance audits is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn
Certificate Validity: Please check the validity of certificate at <http://www.magnitude.com> or contact our office
Certificate is the property of Magnitude Management Services Pvt. Ltd. and shall be returned immediately upon demand.

FORM XIV
APPLICATION FOR REGISTRATION OF COPYRIGHT
[SEE RULE 70]

Diary Number: 17027/2024-CO/A

To

The Registrar of Copyrights,
 Copyright Office,
 Department of Industrial Policy & Promotion,
 Ministry of Commerce and Industry,
 Boudhik Sampada Bhawan,
 Plot No. 32, Sector 14, Dwarka,
 New Delhi-110075
 Email Address: copyright@nic.in
 Telephone No.: (Office) 011-26032496, 08929474194

Sir,

In Accordance with Section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply for registration of Copyright and request that entries may be made in the Register of Copyrights as in the enclosed Statement of Particulars.

1. I also send herewith duly completed the Statement of further Particulars relating to the work. (for Literary/Dramatic, Musical, Atristic works only) **Artistic works**

2. In accordance with rule 16 of the Copyright Rules, 1958, I have sent by prepaid registered post copies of this letter and of the Statement of Particulars and Statement of Further Particulars to other parties concerned as shown below:

Name of Party	Address of Party	Date of Dispatch
DR. NARENDRA CHOUHAN	AGRICULTURE SCIENCES, SAGE UNIVERSITY, INDORE -452020	
DR. SANJAY KUMAR SHAFMA	DRS, RVSKVV GWALIOR, MADHYA PRADESH -474002	
DR. DEEPAK K SINHA	AGRICULTURE SCIENCES, SAGE UNIVERSITY, INDORE -452020	

[See columns 7,11,12, and 13 of the Statement of Particulars and party referred in col.2 (e) of the Statement of Further Particulars.]

3. The prescribed fee has been paid, as per details below: 500/-

Payment ID	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Mode
352897	28/05/2024	500		

4. Communications on this subject may be addressed to:

DR. NARENDRA CHOUHAN
AGRICULTURE SCIENCES, SAGE
UNIVERSITY, INDORE -452020-
452020

5. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, no person, other than to whom a notice has been sent as per paragraph 2 above any claim or interest or dispute to my copyright of this work or its use by me.

6. I hereby verify that the particulars given in this Form and the Statement of Particulars and Statment of Further Particulars are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed there from.


List of Enclosures:

1. 2 Copies of Work
2. DD/IPO of Rs.500 Per Work
3. Authorization from author
4. Search Certificate from Trade Mark Office (TM -60)
5. If the application is being filed through attorney , a specific Power of Attorney in original duly signed by the applicant and accepted by the attorney

Place:

Date: 28/05/2024

For : DR. NARENDRA CHOUHAN



Proprietor

डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक निकाय)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग,
नई दिल्ली-110012



सत्यमेव जयते

Dr. Dinesh K. Agarwal
REGISTRAR-GENERAL

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
(A Statutory body created by an Act of Parliament)
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Government of India
NASC Complex, DPS Marg, New Delhi-110012
दूरभाष / Tel.: 011-25843316 फ़ैक्स / Fax: 011-25840478
Website: www.plantauthority.gov.in
E-mail: rg-ppvfra@nic.in

Dear Sir,

D.O. No. PPVFRA/legal/50-09 (vol-III)/3695
Dated: 06th March, 2023

I am pleased to inform that Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya has been notified by the Authority in the Gazette of India, as a center under Section 41 of PPVFR Act, 2001. The consent of the University was sought vide this Office D.O. No.PPVFRA/Legal/50/09/(Vol.III)/941-1011 dated 16.07.2018. Your University vide Letter No. DRS/TO/2018/1297 dated 01.08.2018 provided consent along with jurisdiction to be notified as a centre under Section 41 of PPVFR Act, 2001.

Once a centre is notified, a claim for compensation can be filed by any person, group of persons (whether actively engaged in farming or not) or any governmental or non-governmental organization on behalf of village or local community within the jurisdiction of the centre and who have contributed significantly in the evolution of any registered variety. No fee is to be claimed from farmer(s)/ farming communities in respect of such claim. The main duty of the centre would be, upon receiving claim to forward the same to the Authority and upon directions from the Authority will verify the claim and report its findings to the Authority. The copy of Notification is enclosed herewith for your kind reference. The PPV&FR Authority would render all assistance in this regard. In case of any further query in this regard the undersigned could be contacted and a meeting in this regard will be conducted with all the centres as to their role and duty at the earliest.

I once again congratulate on the Notification of your esteemed University as a centre under Section 41 of PPVFR Act, 2001 which will no doubt be a unique opportunity in protecting traditional farmers varieties and act as a vanguard in preventing the biopiracy of traditional varieties within your jurisdiction.

With regards,

Your Sincerely,

(D.K. Agarwal)

Prof Arvind Kumar Shukla

Vice-Chancellor

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya
Raja Pancham Singh Marg, Gwalior-474002, MP

DRS/Sudhanshu Sain
DStore

27/3/23

146

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified

Registrar

R.V.S.K.V.V., Gwalior

DNo/Vc/23-24/36/
01/08/2023

Dr. G.K. Sharma / Dr. S. Jain
146
5/6/23



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240725
CG-DL-E-02122022-240725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5339]
No. 5339]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

का.आ. 5571(अ).— पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण उक्त धारा के अधीन प्रतिकर के दावों को संस्थित करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित केंद्रों को अधिसूचित करता है, अर्थात्:--

क्रमांक	केंद्र का नाम और नोडल अधिकारी	राज्य	अधिकारिता वाले जिले
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-415 712, रत्नागिरी, महाराष्ट्र (क) धान - चावल विशेषज्ञ, प्रादेशिक कृषि संशोधन केंद्र, कर्जत, जिला- रायगढ़ (ख) बाजरा और दलहन- प्रमुख, कृषि वनस्पति शास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली, जिला-रत्नागिरी (ग) सब्जी फसलें- सब्जी विशेषज्ञ, (घ) केंद्रीय प्रयोग स्टेशन, वकावली, जिला-	महाराष्ट्र	मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग

7965 GI/2022

(1)

1410
DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	<p>दलहन और अरंडी अनुसंधान इकाई, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी</p> <p>(ख) फल, सब्जी, फूलों की फसलें, मसाले और बागान- सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, बागवानी और वानिकी के अस्पी महाविद्यालय, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी</p> <p>(ग) पेड़- सह- आचार्य, वनवृक्ष-विज्ञान और कृषि-वानिकी विभाग, वानिकी महाविद्यालय, बागवानी और वानिकी के अस्पी महाविद्यालय, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी</p>		
16.	<p>आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद- 388 110, गुजरात</p> <p>(क) खेत की फसलें - सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक (पौधे प्रजनन और आनुवंशिकी), मुख्य चावल अनुसंधान केंद्र, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, नवागाम</p> <p>(ख) फल फसलें- सह- आचार्य (बागवानी), बागवानी महाविद्यालय (विंग), आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद</p> <p>(ग) सब्जी फसलें- सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक (पौधे प्रजनन और आनुवंशिकी), मुख्य सब्जी अनुसंधान केंद्र, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद</p> <p>(घ) वृक्ष फसल- सह- आचार्य (बागवानी), बागवानी विभाग, बंसीलाल अमृतनाल कृषि महाविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद</p> <p>(ङ) मसाला फसलें- सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक (पौधे प्रजनन और आनुवंशिकी), प्रादेशिक कपास अनुसंधान केंद्र, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, वीरमगाम</p> <p>(च) फूल फसल- सह- आचार्य (फूलों की खेती), बागवानी विभाग, बंसीलाल अमृतनाल कृषि महाविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद</p> <p>(छ) बागान फसलें- सह- आचार्य (बागवानी), बागवानी विभाग, बंसीलाल अमृतनाल कृषि महाविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद</p>	गुजरात	आनंद, खेडा, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटोउदेपुर, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बोटाद
17.	<p>राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर- 474 CC2 (मध्य प्रदेश)</p> <p>(क) खेत की फसलें - नोडल अधिकारी</p> <p>(ख) फल - नोडल अधिकारी</p> <p>(ग) सब्जियां - नोडल अधिकारी</p>	मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, राजगढ़, धार, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, अलीराजपुर, अगरमलवा, बुरहानपुर, शाजापुर, सीहोर और गुना

446
DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	<p>(घ) पेड़ - नोडल अधिकारी</p> <p>(ङ) मसाले - नोडल अधिकारी</p> <p>(च) फूलों की फसल - नोडल अधिकारी</p> <p>(छ) बागान - नोडल अधिकारी</p>		
18.	<p>ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 003, ओडिशा</p> <p>(क) खेत की फसलें - संयोजक, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p> <p>(ख) फल- सह- आचार्य, फल विज्ञान और बागवानी प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p> <p>(ग) सब्जियां-प्रमुख, सब्जी विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p> <p>(घ) पेड़-सहायक प्रोफेसर, वन जीव विज्ञान और वृक्ष सुधार विभाग, वानिकी कॉलेज, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p> <p>(ङ) मसाले- सहायक आचार्य और कार्यालय प्रभारी, उच्च ऊंचाई अनुसंधान केंद्र, पोट्टांगी, कोरापुट</p> <p>(च) फूलों की फसलें- सह- आचार्य, फूलों की खेती और भूनिर्माण विभाग, कृषि महाविद्यालय, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p> <p>(छ) बागान- आचार्य, काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</p>	ओडिशा	संपूर्ण ओडिशा
19.	<p>पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004, पंजाब</p> <p>(क) खेत की फसलें - प्रमुख, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग</p> <p>(ख) फल- प्रमुख, फल विज्ञान विभाग</p> <p>(ग) सब्जियां- प्रमुख, सब्जी विज्ञान विभाग</p> <p>(घ) वानिकी और बागान - प्रमुख, वानिकी और प्राकृतिक संसाधन विभाग</p> <p>(ङ) फूलों की खेती - प्रमुख, फूलों की खेती और भू-द्रव्य-निर्माण विभाग</p> <p>(च) मसाले और औषधीय पौधे- सहायक कृषि विज्ञानी, जैविक खेती विद्यालय</p>	पंजाब	संपूर्ण पंजाब
20.	<p>डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला- 444 104 (महाराष्ट्र)</p> <p>(क) ज्वार- ज्येष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक, ज्वार अनुसंधान इकाई, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला-444 104</p>	महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली

डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल

महा-पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक निकाय)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स, डीपीए समार्ग, नई दिल्ली-110012
दूरभाष: 011-25843316, फ़ैक्स: 011-25840478
वेबसाइट: www.plantauthority.gov.in
ई-मेल: rg-ppvfra@nic.in



सत्यमेव जयते

Dr. Dinesh Kumar Agarwal
REGISTRAR-GENERAL


Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
(A Statutory body created by an Act of Parliament)
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India
NASC Complex, DPS Marg, New Delhi-110012
Tel.: 011-25843316, Fax: 011-25840478
Website: www.plantauthority.gov.in
E-mail: rg-ppvfra@nic.in

F.No. PPFRA/Reg-2020/373/EN/2022/371

Date: 16/11/2022

To,

Director Research Services
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (RVSKVV),
Gwalior-474002, Madhya Pradesh



Sub: Issuance of registration certificate of Chickpea variety **Raj Vijay Gram 204 (RVG 204)** (REG/2020/373)

The Chickpea variety, Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) was applied for registration at PPFRA, New Delhi. The same was approved by EVRC committee for registration under Extant (Notified) category. The variety has completed all the formalities of registration and the registration certificate is enclosed herewith. The term of protection period is considered from date of gazette notification (dt.05.09.2019) initially for a period of 6 years and then it may be renewed for further 9 years. The annual fee to be paid from date of notification i.e. 05.09.2019 (Rs. 2000 x 3 years = Rs. 6,000/-) and if the annual fee remains default for two consecutive years from date of grant of certificate of registration, then the arrears would be recovered as land revenue under Section 35 of the PPVFR Act, 2001. The variety may be renewed on or before 04.09.2025 by paying required fee.

The logo of PPVFR Authority, Public Notice No. 1 of 2021 indicating registration under PPVFR Act, 2001 is enclosed for use in Packets/containers of registered variety. The Public Notice No. 11 of 2019 and 1 of 2020 relating to registration of Agent/ licensee and agronomic & commercial attributes parameters as claimed are enclosed for compliance.

The due date for the payment of annual fee is 05.09.2023.

This is for your kind information and further needful.

(Dinesh Kumar Agarwal)
Registrar General

Dr. G. K. Sharma / Dr. S. Jain M. discun

Photo
22/11/2022

PPVFR - file
sign

PHOTO
DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Scanned with OKEN Scanner



सत्यमेव जयते



PPVFR

प्ररूप O-2, FORM O-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण / PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012 / D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र / Certificate of Registration

पंजीकरण सं०./ Registration No.: REG/2020/373	दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 16 दिसम्बर/December,2020
	जारी करने की तारीख/ Date of Grant: 15 नवम्बर/ November,2022

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश ने घोषित किया है कि उसने चना (*Cicer arietinum* L.) फसल की विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख किया है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए वर्ष 2019 के सितम्बर माह की 05 तारीख से छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh has declared that he has developed Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) of Chickpea (*Cicer arietinum* L.) as Extant (Notified) plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of Extant (Notified) plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 5th day of September, 2019, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2022 के नवम्बर माह की 15 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 15th day of November, 2022.



रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar,
पौधा किस्म रजिस्ट्री/ Plant Varieties Registry

Verified

Registrar

R.V.S.K.V.V., Gwalior

पंजीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इस प्रकार बनाए रखा जाना है तो वर्ष 2023 के सितम्बर माह की 05 तारीख को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी तारीख को देय होगी। Fees for maintenance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on September, 2023 and on the same date every year thereafter.

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012
D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012



रजिस्ट्रीकरण का विवरण/Details of Registration

अधिकार धारक का नाम व पता / Name & Address of Right holder: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश/ Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalyaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh

पंजीकरण सं. / Registration No.: REG/2020/373

फसल / Crop: चना / Chickpea (*Cicer arietinum* L.)

नाम / Denomination: Raj Vijay Gram 204 (RVG 204)

प्रदानीकरण की तिथि / Date of grant: 15 नवम्बर / November, 2022

संरक्षण की अवधि / Period of Protection: 15 वर्ष / प्रारम्भ मे छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत
Initial term of Six Years and renewable upto 04 September 2034

टिप्पण/Note- वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार होगा तथा ये प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV&FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India which is available on website of the Authority.

वार्षिक शुल्क का विवरण/ Details of Annual Fee

वर्ष/ Year	अवधि/ Period		पंजीकृत किस्म की बिक्री/ रॉयल्टी पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि/ Date of filling of return on sale / royalty of registered variety	देय वार्षिक शुल्क/ Annual fee payable	भुगतान की तारीख/ Date of Payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with seal
	से/ From	तक/ To				
पहला/I						
दूसरा/II						
तीसरा/III						
चौथा/IV						
पांचवा/V						
छठा/VI						
सातवां/VII						
आठवां/VIII						
नौवां/ IX						
दसवां/ X						
ग्यारहवां/XI						
बारहवां/XII						
तेरहवां/XIII						
चौदहवां/XIV						
पन्द्रहवां/ XV						
सोलहवां/XVI						
सत्रहवां/XVII						
अठारहवां/XVIII						

* वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रति वर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

* Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV& FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India.

नवीकरण शुल्क का विवरण/ Details of Renewal Fee

नवीकरण शुल्क की राशि/ Amount of Renewal Fee	भुगतान की तिथि/ Date of payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with Seal

नवीकरण शुल्क/ Renewal Fee: वृक्षों और लताओं के मामले में 9 वर्ष के बाद तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के बाद अदा किया जाना चाहिए, बशर्ते की अधिकार धारक पंजीकरण जारी रखना चाहता हो। नवीकरण शुल्क की राशि पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2003 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार लागू है (समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है) To be deposited after 9 years in case of trees and vines and after 6 years in case of other crops if the right holder wants to continue with the registration. The amount of renewal fee as applicable is given in Second Schedule of PPV&FR Rules, 2003 (as amended from time to time).

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

DIRECTOR-RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002



F.No. PPVFRA/Reg- 2020/377/EN/2023
Date: 9/06/2023 / 10/8

To,
Director Research Services
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya
(RVSKVV), Gwalior-474002, Madhya Pradesh

Sub: Issuance of registration certificate of Chickpea variety **Raj Vijay Kabuli gram 101 (JSC 42)**
(REG/2020/377)

The Chickpea variety, Raj Vijay Kabuli gram 101 (JSC 42) was applied for registration at PPVFRA, New Delhi. The same was approved by EVRC committee for registration under Extant (Notified) category. The variety has completed all the formalities of registration and the registration certificate is enclosed herewith. The term of protection period is considered from date of gazette notification (dt. 16.03.2012) initially for a period of 6 years and then it may be renewed for further 9 years. The annual fee to be paid from date of notification i.e. 16.03.2012 (Rs. 2000 x 11 years = Rs.22,000/-) and if the annual fee remains default for two cosecutive years from date of grant of certificate of registration, then the arrears would be recovered as land revenue under Section 35 of the PPV&FR Act, 2001. The variety may be renewed **immediately**.

The logo of PPVFR Authority, Public Notice No. 1 of 2021 indicating registration under PPVFR Act, 2001 is enclosed for use in Packets/containers of registered variety. The Public Notice No. 11 of 2019 and 1 of 2020 relating to registration of Agent/ licensee and agronomic & commercial attributes parameters as claimed are enclosed for compliance.

The due date for the payment of annual fee is 16.03.2024.
This is for your kind information and further needful.

*Dr. G.K. Sharma / Dr. S. Jain
M. Dubey
19/6/23*

(UK Dubey)
Deputy Registrar

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified

Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



प्ररूप O-2, FORM O-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण / PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012 / D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र / Certificate of Registration

पंजीकरण सं./ Registration No.: REG/2020/377	दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 16 दिसम्बर/December, 2020
	जारी करने की तारीख/ Date of Grant: 09 जून/ June, 2023

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, (आरवीएसकेवीवी), ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश ने घोषित किया है कि उसने चना (*Cicer arietinum* L.) फसल की विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म Raj Vijay Kabuli gram 101 (JSC 42) विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख किया है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिकी या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए वर्ष 2012 के मार्च माह की 16 तारीख से छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, (RVSKVV), Gwalior-474002, Madhya Pradesh has declared that he has developed Raj Vijay Kabuli gram 101 (JSC 42) of Chickpea (*Cicer arietinum* L.) as Extant (Notified) plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of Extant (Notified) plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 16th day of March, 2012, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साथ स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2023 के जून माह की 09 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 9th day of June, 2023.



रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar,
पौधा किस्म रजिस्ट्री/ Plant Varieties Registry

Verified

टिप्पण/ Note: इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है तो वर्ष 2024 के मार्च माह की 16 तारीख को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष की तारीख को देय होगी। The fees for the maintenance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on 16th day of March, 2024 and on the same day in every year thereafter.

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

R.V.S.K.V.V., Gwalior

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012
D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012



रजिस्ट्रीकरण का विवरण/Details of Registration

अधिकार धारक का नाम व पता / Name & Address of Right holder: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, (आरवीएसकेवीवी), ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश/ Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, (RVSKVV), Gwalior-474002, Madhya Pradesh

पंजीकरण सं. / Registration No.: REG/2020/377

फसल / Crop: चना / Chickpea (*Cicer arietinum* L.)

नाम / Denomination: Raj Vijay Kabuli gram 101 (JSC 42)

प्रदानिकरण की तिथि / Date of grant: 09 जून / June, 2023

संरक्षण की अवधि / Period of Protection: 15 वर्ष / प्रारम्भ मे छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत
Initial term of Six Years and renewable upto 15 March 2027

टिप्पण/Note- वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार होगा तथा ये प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV&FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India which is available on website of the Authority.

वार्षिक शुल्क का विवरण/ Details of Annual Fee

वर्ष/ Year	अवधि/ Period		पंजीकृत किस्म की बिक्री/ रॉयल्टी पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि/ Date of filling of return on sale / royalty of registered variety	देय वार्षिक शुल्क/ Annual fee payable	भुगतान की तारीख/ Date of Payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with seal
	से/ From	तक/ To				
पहला/I						
दूसरा/II						
तीसरा/III						
चौथा/IV						
पांचवा/V						
छठा/VI						
सातवां/VII						
आठवां/VIII						
नीवां/ IX						
दसवां/ X						
ग्यारहवां/XI						
बारहवां/XII						
तेरहवां/XIII						
चौदहवां/XIV						
पन्द्रहवां/ XV						
सोलहवां/XVI						
सत्रहवां/XVII						
अठारहवां/XVIII						

*वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रति वर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

*Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV& FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India.

नवीकरण शुल्क का विवरण/ Details of Renewal Fee

नवीकरण शुल्क की राशि/ Amount of Renewal Fee	भुगतान की तिथि/ Date of payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with Seal

नवीकरण शुल्क/ Renewal Fee: नवी और लताओं के मामले में 9 वर्ष के बाद तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के बाद अदा किया जाना चाहिए, बशर्ते की अधिकार धारक पंजीकरण की रचना करता हो। नवीकरण शुल्क की राशि पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार लागू है (समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है)। To be deposited after 9 years in case of cereals and vines and after 6 years in case of other crops if the right holder wants to continue with the registration. The amount of renewal fee as applicable is given in Second Schedule of PPV&FR Rules, 2003 (as amended in the 10th).

DIRECTOR GENERAL
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल

महा-पंजीकार

पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक निकाय)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स, डीपीए समार्ग, नई दिल्ली-110012
दूरभाष: 011-25843316, फ़ैक्स: 011-25840478
वेबसाइट: www.plantauthority.gov.in
ई-मेल: rg-ppvfra@nic.in



सत्यमेव जयते

Dr. Dinesh Kumar Agarwal
REGISTRAR-GENERAL

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
(A Statutory body created by an Act of Parliament)
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India
NASC Complex, DPS Marg, New Delhi-110012
Tel.: 011-25843316, Fax: 011-25840478
Website: www.plantauthority.gov.in
E-mail: rg-ppvfra@nic.in

F.No. PPVFRA/Reg-2020/375/EN/2022/1367

Date: 16/11/2022

To,

Director Research Services
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (RVSKVV),
Gwalior-474002, Madhya Pradesh



Sub: Issuance of registration certificate of Chickpea variety Raj Vijay Gram 202 (RVG 202) (REG/2020/375)

The Chickpea variety, Raj Vijay Gram 202 (RVG 202) was applied for registration at PPVFRA, New Delhi. The same was approved by EVRC committee for registration under Extant (Notified) category. The variety has completed all the formalities of registration and the registration certificate is enclosed herewith. The term of protection period is considered from date of gazette notification (dt.28.01.2015) initially for a period of 6 years and then it may be renewed for further 9 years. The annual fee to be paid from date of notification i.e. 28.01.2015 (Rs. 2000 x 7 years = Rs.14,000/-) and if the annual fee remains default for two consecutive years from date of grant of certificate of registration, then the arrears would be recovered as land revenue under Section 35 of the PPVFR Act, 2001.

Since, the variety has already completed 6 years on 27.01.2021, renewal fee to be paid **IMMEDIATELY** for further extension of protection period.


The logo of PPVFR Authority, Public Notice No. 1 of 2021 indicating registration under PPVFR Act, 2001 is enclosed for use in Packets/containers of registered variety. The Public Notice No. 11 of 2019 and 1 of 2020 relating to registration of Agent/ licensee and agronomic & commercial attributes parameters as claimed are enclosed for compliance.

The due date for the payment of annual fee is 27.01.2023.

This is for your kind information and further needful.


(Dinesh Kumar Agarwal)
Registrar General

Dr. G.K. Sharma


22/11/2022

PPVFR - AIC




DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



प्ररूप O-2, FORM O-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण / PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012 / D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र / Certificate of Registration

पंजीकरण सं० / Registration No.: REG/2020/375

दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 16 दिसम्बर/December,2020

जारी करने की तारीख/ Date of Grant: 15 नवम्बर/ November,2022

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश ने घोषित किया है कि उसने चना (*Cicer arietinum* L.) फसल की विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म RAJ VIJAY GRAM 202 (RVG 202) विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख किया है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए वर्ष 2015 के जनवरी माह की 28 तारीख से छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh has declared that he has developed RAJ VIJAY GRAM 202 (RVG 202) of Chickpea (*Cicer arietinum* L.) as Extant (Notified) plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of Extant (Notified) plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 28th day of January, 2015, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साथ स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2022 के नवम्बर माह की 15 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 15th day of November, 2022.



टिप्पण/ Note

रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाये तो 2023 के जनवरी माह की 28 तारीख को और उसके 28th day of January, 2023 and on the same day in every year thereafter.

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar,
पौधा किस्म रजिस्ट्री/ Plant Varieties Registry

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली - 110012
D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012



रजिस्ट्रीकरण का विवरण / Details of Registration

अधिकार धारक का नाम व पता / Name & Address of Right holder: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश/ Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh

पंजीकरण सं. / Registration No.: REG/2020/375

फसल / Crop: चना / Chickpea (*Cicer arietinum* L.)

नाम / Denomination: RAJ VIJAY GRAM 202 (RVG 202)

प्रदानिकरण की तिथि / Date of grant: 15 नवम्बर / November, 2022

संरक्षण की अवधि / Period of Protection: 15 वर्ष / प्रारम्भ में छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत
Initial term of Six Years and renewable upto 27 January 2030

टिप्पण/Note- वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार होगा तथा ये प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV&FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India which is available on website of the Authority.

वार्षिक शुल्क का विवरण/ Details of Annual Fee

वर्ष/ Year	अवधि/ Period		पंजीकृत किस्म की बिक्री/ रॉयल्टी पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि/ Date of filling of return on sale / royalty of registered variety	देय वार्षिक शुल्क/ Annual fee payable	भुगतान की तारीख/ Date of Payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with seal
	से/ From	तक/ To				
पहला/I						
दूसरा/II						
तीसरा/III						
चौथा/IV						
पांचवा/V						
छठा/VI						
सातवा/VII						
आठवा/VIII						
नीवा/ IX						
दसवा/ X						
ग्यारहवा/XI						
बारहवा/XII						
तेरहवा/XIII						
चौदहवा/XIV						
पन्द्रहवा/ XV						
सोलहवा/XVI						
सत्रहवा/XVII						
अठारहवा/XVIII						

* वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रति वर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

* Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV& FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India.

नवीकरण शुल्क का विवरण/ Details of Renewal Fee

नवीकरण शुल्क की राशि/ Amount of Renewal Fee	भुगतान की तिथि/ Date of payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with Seal

नवीकरण शुल्क/ Renewal Fee: पूर्वा और अलाओं के मामले में 9 वर्ष के बाद तथा अन्य पसलियों के मामले में 6 वर्ष के बाद अदा किया जाना चाहिए, बशर्ते की अधिकार धारक पंजीकरण के अंतर्गत नवीकरण शुल्क की राशि पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार लागू है (समय-समय पर इसका बदलाव किया जा सकता है)। To be deposited after 9 years in case of cereals and pulses and after 6 years in case of other crops if the holder wants to continue with the registration. The amount of renewal fee as applicable is given in the Second Schedule of PPV&FR Rules, 2003 (as amended).

DIRECTOR RESEARCH SERVICE
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.R.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक निकाय)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights
Authority

(A Statutory Body created by an Act of Parliament)
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Government of India


डॉ. टी के नागरत्ना, पीएच.डी., पी डी एफ
रजिस्ट्रार
ईमेल: tk.nagarathna@gov.in
टेल: +91-11-25840777

Dr. T K Nagarathna, Ph.D., PDF
Registrar
Email : tk.nagarathna@gov.in
Tel: +91-11-25840777

F.No. PPV&FRA/Reg-2020/337/EN/2021/2811
Date: 15/11/2021

To,

Director Research,
Director Research Services,
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya
2nd floor, Administrative Block, Raja Panoram Singh Marg,
Gwalior-474002 Madhya Pradesh



Sub: Issuance of registration certificate of Sorghum variety Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862)
(REG/2020/337)

The Sorghum variety, Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862) was applied for registration at PPV&FRA, New Delhi. The same was approved by EVRC committee for registration under Extant (Notified) category. The variety has completed all the formalities of registration and the registration certificate is enclosed herewith. The term of protection period is considered from date of gazette notification (dt.22.11.2016) initially for a period of 6 years and then it may be renewed for further 9 years. The annual fee to be paid from date of notification i.e. 22.11.2016 (Rs. 2000 x 5 years = Rs.10,000/-) and if the annual fee remains default for two consecutive years from date of grant of certificate of registration, then the arrears would be recovered as land revenue under Section 35 of the PPV&FR Act, 2001. The variety may be renewed on or before 21.11.2022 by paying required fee.

The logo of PPV&FR Authority, Public Notice No. 1 of 2021 indicating registration under PPV&FR Act, 2001 is enclosed for use in Packets/containers of registered variety. The Public Notice No. 11 of 2019 and 1 of 2020 relating to registration of Agent/ licensee and agronomic & commercial attributes parameters as claimed are enclosed for compliance.

The due date for the payment of annual fee is 22.11.2022.

This is for your kind information and further needful.

Nag
(T.K. Nagarathna)
Registrar

OK
TU

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012 (भारत)
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi-110012 (India)
<http://www.plantauthority.gov.in>

1146
DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



प्ररूप O-2, FORM O-2

(कृषया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY

एनएस परिसर, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली/Opp. Todapur Village, NAS Complex, New Delhi - 110 012

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र / Certificate of Registration

पंजीकरण सं०./ Registration No.: REG/2020/337	दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 09 नवम्बर/November,2020
	जारी करने की तारीख/ Date of Grant: 02 नवम्बर/ November,2021

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश ने घोषित किया है कि उसने ज्वार (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) फसल की विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862) विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख किया है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिकी या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए वर्ष 2016 के नवम्बर माह की 22 तारीख से छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh has declared that he has developed Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862) of Sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) as Extant (Notified) plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of Extant (Notified) plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 22nd day of November, 2016, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2021 के नवम्बर माह की 02 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 2nd day of November, 2021.



Nag

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar,
पौधा किस्म रजिस्ट्री/ Plant Varieties Registry

टिप्पण/ Note : इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है तो वर्ष 2022 के नवम्बर माह की 22 तारीख को और उसके अगले प्रत्येक वर्ष उसी तारीख को देय होगी। In case for the continuance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on 22nd day of November, 2022 and on the same day in every year thereafter.

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

टोडापुर गांव के निकट, एनएएस परिसर, नई दिल्ली-110012
Opp. Todapur Village, NAS Complex, New Delhi-110 012



रजिस्ट्रीकरण का विवरण / Details of Registration

अधिकार धारक का नाम व पता / Name & Address of Right holder: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर .
474002, मध्य प्रदेश/ Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474002, Madhya Pradesh

पंजीकरण सं. / Registration No.: REG/2020/337

फसल / Crop: ज्वार / Sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench)

नाम / Denomination: Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862)

प्रदानिकरण की तिथि / Date of grant: 02 नवम्बर / November, 2021.

संरक्षण की अवधि / Period of Protection: 15 वर्ष / प्रारम्भ में छः वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत
Initial term of Six Years and renewable upto 21 November 2031

टिप्पण/Note- वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार होगा तथा ये प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV&FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India which is available on website of the Authority.

वार्षिक शुल्क का विवरण / Details of Annual Fee

वर्ष/ Year	अवधि/ Period		पंजीकृत किस्म की विक्री / रॉयल्टी पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि/ Date of filling of return on sale / royalty of registered variety	देय वार्षिक शुल्क/ Annual fee payable	भुगतान की तारीख/ Date of Payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with seal
	से/ From	तक/ To				
पहला/I						
दूसरा/II						
तीसरा/III						
चौथा/IV						
पांचवा/V						
छठा/VI						
सातवां/VII						
आठवां/VIII						
नौवां/ IX						
दसवां/ X						
ग्यारहवां/XI						
बारहवां/XII						
तेरहवां/XIII						
चौदहवां/XIV						
पन्द्रहवां/ XV						
सोलहवां/XVI						
सत्रहवां/XVII						
अठारहवां/XVIII						

*वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रति वर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

*Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV& FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India.

नवीकरण शुल्क का विवरण / Details of Renewal Fee

नवीकरण शुल्क की राशि/ Amount of Renewal Fee	भुगतान की तिथि/ Date of payment	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with Seal

नवीकरण शुल्क / Renewal Fee: वृक्षों और लताओं के मामले में 9 वर्ष के बाद तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के बाद अदा किया जाना चाहिए, बशर्ते की अधिकार धारक पंजीकरण जारी रखना चाहता हो। नवीकरण शुल्क की राशि पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार लागू है। (नवीकरण शुल्क के मामले में बदलाव किया जा सकता है) To be deposited after 9 years in case of trees and vines and after 6 years in case of other crops if the right holder wants to continue with the registration. The amount of renewal fee as applicable is given in Second Schedule of PPV&FR Rules, 2003 (as amended in time to time).


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253429
CG-DL-E-28032024-253429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946

No. 1479]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1560(अ).—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का संख्यांक 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात यह मत है कि उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या (2) के अधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समीचीन है, घोषणा की जाती है कि बीजों की उक्त किस्में बीज उत्पादन के लिए पूरे भारत के लिए अधिसूचित होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	किस्म	प्रकार	किस्म/संकरकिस्म का नाम	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चावल	सीआर धान 211(आईईटी 29411)	खुली परागण वाली किस्म	ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़
2.	चावल	सीआर धान 212(आईईटी 29424)	खुली परागण वाली किस्म	ओडिशा, बिहार और झारखंड

2267 GI/2024

(1)

Director Research Service
R.V.S.K.V.V. Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

				प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना
138.	तिल	सबौर तिल - 1 (बीआरटी-04)	खुली परागण वाली किस्म	बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश
139.	तिल	तिलहन टेक तिल-1 (आईआईओएस-1101)	खुली परागण वाली किस्म	कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु
140.	रामतिल	जेएनएस 2017-13	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड
141.	अलसी	एसएचए-5 (एसयूएटीएस अलसी-5) (एसएचए-5)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल असम
142.	अलसी	वीयूएटीअलसी-5 (एलएमएस 2017-1-12)	खुली परागण वाली किस्म	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू
143.	अलसी	अनु (एलसीके 1021)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश
144.	अरंडीकेबीज	तिलहन टेक आईसीएच-6 (आईसीएच-1146)	संकर	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा
145.	काबुली चना	पूसा चना 3057 (बीजी 3057)	खुली परागण वाली किस्म	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
146.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 2के21 (आरवीजी2के21) (आरवीएसएसजी61)	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश
147.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 2021 (आरवीकेजी 2021) (आरवीएसएसजी 62)	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश
148.	काबुली चना	सोरथ काबुली 2 (गुजरात काबुली ग्राम 2)	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात
149.	काबुली चना	सात्विक(एनसी 9)	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र
150.	काबुली चना	कुंदन(आईपीसीवी 2015-132)	खुली परागण वाली किस्म	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम
151.	काबुली चना	स्वर्ण लक्ष्मी (डीवीजीसी 3)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम
152.	काबुली चना	कोटा देसी चना 2 (आरकेजीएम20-1)	खुली परागण वाली किस्म	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
153.	काबुली चना	कोटा देसी चना 3 (आरकेजीएम20-2)	खुली परागण वाली किस्म	असम, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल
154.	काबुली चना	गुजरात ग्राम 8 (जीजेजी 1913)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253429
CG-DL-E-28032024-253429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]
No. 1479]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1560(अ).—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का संख्यांक 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात यह मत है कि उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या (2) के अधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समीचीन है, घोषणा की जाती है कि बीजों की उक्त किस्में बीज उत्पादन के लिए पूरे भारत के लिए अधिसूचित होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	किस्म	प्रकार	किस्म/संकरकिस्म का नाम	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चावल	सीआर धान 211(आईईटी 29411)	खुली परागण वाली किस्म	ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़
2.	चावल	सीआर धान 212(आईईटी 29424)	खुली परागण वाली किस्म	ओडिशा, बिहार और झारखंड

2267 GI/2024

(1)

Director Research Service
R.V.S.K.V.V. Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

				प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना
138.	तिल	सबौर तिल - 1 (बीआरटी-04)	खुली परागण वाली किस्म	बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश
139.	तिल	तिलहन टेक तिल-1 (आईआईओएस-1101)	खुली परागण वाली किस्म	कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु
140.	रामतिल	जेएनएस 2017-13	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड
141.	अलसी	एसएचए-5 (एसयूएटीएस अलसी-5) (एसएचए-5)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल असम
142.	अलसी	बीयूएटीअलसी-5 (एलएमएस 2017-1-12)	खुली परागण वाली किस्म	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू
143.	अलसी	अनु (एलसीके 1021)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश
144.	अरंडीकेबीज	तिलहन टेक आईसीएच-6 (आईसीएच-1146)	संकर	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा
145.	काबुली चना	पूसा चना 3057 (बीजी 3057)	खुली परागण वाली किस्म	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
146.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 2के21 (आरबीजी2के21) (आरबीएसएसजी61)	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश
147.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 2021 (आरबीकेजी 2021) (आरबीएसएसजी 62)	खुली परागण वाली किस्म	मध्य प्रदेश
148.	काबुली चना	सोरथ काबुली 2 (गुजरात काबुली ग्राम 2)	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात
149.	काबुली चना	सात्विक(एनसी 9)	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र
150.	काबुली चना	कुंदन(आईपीसीबी 2015-132)	खुली परागण वाली किस्म	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम
151.	काबुली चना	स्वर्ण लक्ष्मी (डीबीजीसी 3)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम
152.	काबुली चना	कोटा देसी चना 2 (आरकेजीएम20-1)	खुली परागण वाली किस्म	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
153.	काबुली चना	कोटा देसी चना 3 (आरकेजीएम20-2)	खुली परागण वाली किस्म	असम, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल
154.	काबुली चना	गुजरात ग्राम 8 (जीजेजी 1913)	खुली परागण वाली किस्म	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात

1840
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE
पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 of The Patents Rules)

क्रमांक : 022123923
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 429084
आवेदन सं. / Application No. : 202221026571
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 07/05/2022
पेटेंटी / Patentee : 1.TIRUNIMA PATLE 2.DR. SANJAY SHARMA

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AFFECTED SOILS" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मई 2022 के सातवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AFFECTED SOILS" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 7th day of May 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 17/04/2023
Date of Grant :

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

[Signature]

[Signature]
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, मई 2024 के सातवें दिन की ओर उसके परचास प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall on 7th day of May 2024 and on the same day in every year thereafter.

Home (<http://ipindia.nic.in/index.htm>) About Us (<http://ipindia.nic.in/about-us.htm>) Who's Who (<http://ipindia.nic.in/whos-who-page.htm>)
 Policy & Programs (<http://ipindia.nic.in/policy-pages.htm>) Achievements (<http://ipindia.nic.in/achievements-page.htm>)
 RTI (<http://ipindia.nic.in/right-to-information.htm>) Feedback (<https://ipindiaonline.gov.in/feedback>) Sitemap (<http://ipindia.nic.in/itemap.htm>)
 Contact Us (<http://ipindia.nic.in/contact-us.htm>) Help Line (<http://ipindia.nic.in/helpline-page.htm>)

Skip to Main Content



(<http://ipindia.nic.in/index.htm>)



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENT, DESIGN, TRADE MARK,
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

(<http://ipindia.nic.in/inc>)

Patent Search

Invention Title	"A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AF SOILS"
Publication Number	26/2022
Publication Date	01/07/2022
Publication Type	INA
Application Number	202221026571
Application Filing Date	07/05/2022
Priority Number	
Priority Country	
Priority Date	
Field Of Invention	BIOTECHNOLOGY
Classification (IPC)	A61K0038000000, C10B0053020000, B01J0020200000, C01B0032050000, C10L0005440000
Inventor	

Name	Address	Country	Nationality
TIRUNIMA PATLE	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India	India	India
DR. SANJAY SHARMA	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India	India	India
DR. S.K TRIVEDI	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P(474002)	India	India
SHRI. SENTHIL KUMAR	RRCAT, Indore, M.P. (451010), India	India	India
MR. NARENDRA CHOUHAN	Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, M.P. (451010), India	India	India
DR. AVINASH SINGH TOMAR	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P(474002), India	India	India

Applicant

Name	Address	Country	Nationality
TIRUNIMA PATLE	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India	India	India
DR. SANJAY SHARMA	COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India	India	India

Abstract:

Disclosed is a natural agro-product comprises nano-gypsum; biochar & biomes wherein the nano-gypsum is dispersant-free. Also provided is a method of manufacturing t nano-gypsum and the biochar. Fig 1b-c

Complete Specification

Description: FIELD OF INVENTION

The present invention relates to agriculture. More particularly, the present invention relates to natural agro-product comprises nano-gypsum, biochar & biomes and the process thereof for reclamation of salt affected soils.

BACKGROUND OF THE INVENTION

The term "agro" means a combining form of field, soil & crop production and agro-products which is synthetic or natural origin is used i) to improve the soil's physical qualities usually its fertility (called as soil conditioner) and ii) to soil or plant tissues to supply plant nutrients (called as fertilizer). Generally, synthetic agro-products include ammonium nitrate, ammonium phosphate, superphosphate are harmful not only to soil and crop production but also to farmer who is handling these chemicals. Chemically produced plant accumulates toxic chemicals in the human body, which are very dangerous. The deleterious effect of the chemical fertilizers itself starts from manufacturing of these chemicals, whose products and byproducts are some toxic chemicals or gases like NH₄, CO₂, CH₄ etc. which causes soil and health hazard (Chan et al. 2019) therefore the synthetic product are avoided. Therefore, in recent past, the focus of the scientist is on natural substance based agro-product without compromising the efficacy.

'Soil salinity' or 'salt affected soils' (herein after referred to as SAS) is major problem as the agriculture is concerned which leads to land degradation and reduced crop production. Current estimated area under SAS (6.74 M ha) comprising of 3.79 M ha sodic and 2.95 M ha saline area is projected to increase to 16.2 M ha by 2050. An area

View Application Status



Department of Industrial
Policy and Promotion
Government of India

Terms & conditions (<http://ipindia.gov.in/terms-conditions.htm>) Privacy Policy (<http://ipindia.gov.in/privacy-policy.htm>)
Copyright (<http://ipindia.gov.in/copyright.htm>) Hyperlinking Policy (<http://ipindia.gov.in/hyperlinking-policy.htm>)
Accessibility (<http://ipindia.gov.in/accessibility.htm>) Archive (<http://ipindia.gov.in/archive.htm>) Contact Us (<http://ipindia.gov.in/contact-us.htm>)
Help (<http://ipindia.gov.in/help.htm>)

Content Owned, updated and maintained by Intellectual Property India, All Rights Reserved.

Page last updated on: 26/06/2019

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

MHB
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल



क्रमांक/ई-1-बी/रा.बी.उ.स./2023-24/1586

भोपाल, दिनांक 12/10/2023

“विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. राज्य के लिये
अनुशंसित करने हेतु राज्य बीज उप समिति की
बैठक दिनांक 27.09.2023 का कार्यवाही विवरण”

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र./3-61/2017-एस.डी. IV, दिनांक 19.01.2018 के अनुक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं अन्य निजी संस्थाओं की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु, प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य बीज उप समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को बल्लभ भवन भोपाल प्रथम स्थित कक्ष क्रमांक 315 में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्यों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं/ अनुसंधान केन्द्रों के विषय विशेषज्ञ / वैज्ञानिक / पादप प्रजनक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट -1 संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बैठक में डॉ. मृणाल कुचलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर, डॉ. पी. के. कटियार, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. किरण गायकवाड, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. गनपति मुकरी, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. सुमन बक्सी, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, मुम्बई एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त, (गुणवत्ता नियन्त्रण), भारत सरकार वीडियो कान्फ्रेंस लिंक के माध्यम से सम्मिलित हुए।

STO (Seed)

[Handwritten signature]

E:\ALL_FOLDER_SEED_2022-23\MEETING_27-09-2023\1 A State Seed Sub Committee Meeting 27.09.2023\Minutes of Meeting 27.09.2023 final.docx

[Handwritten initials]
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

[Handwritten text]

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
	(फल अनुसंधान केन्द्र कुठुलिया कृषि महाविद्यालय रीवा)			ऊंचाई-5-6 मीटर, फल का वजन (365.5 ग्राम), फल सफेद, गूदा अधिक, फल गोल, कीर्पिंग क्वालिटी अच्छी, लंबे समय तक फल देने वाला, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त।	के निर्देशों के अनुपालन उपरांत पुनः प्रस्तुत। म.प्र राज्य के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

एजेण्डा क्रमांक-5

संचालक, अनुसंधान सेवाएं, आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही ग्वालियर के द्वारा विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों का प्रस्तुतिकरण:-

संचालक, अनुसंधान सेवाएं, आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही ग्वालियर के द्वारा विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों के प्राप्त कुल 10 प्रजातियों के प्रस्तावों पर समिति द्वारा म.प्र राज्य हेतु अधिसूचित किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय/अनुसंशा का सारणीकृत विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	RVSKVV ग्वालियर (भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर ट्राम्बे मुम्बई एवं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के समन्वय से)	गेहूँ	TRVW-155	परिपक्वता अवधि 111-138 दिन, उत्पादकता 57.50 से 59.20 कि/हे., दाना अम्बर, अर्ध-कठोर मोटे दानों वाली मध्यम अवधि की किस्म। चपाती हेतु उपयुक्त, दानों में प्रोटीन की मात्रा 11.5%, आयरन 41.3 ppm, जिंक 40.9ppm, बहुरोग प्रतिरोधी एवं हीट सहनशील, सिचाई की आवश्यकता कम, कम उपजाऊ और मध्यम उपजाऊ सिंचित परिस्थितियों में उपयुक्त, Lok-	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
				1, GW-322 and HI-1544 का बेहतर विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	
2	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	मसूर	Raj Vijay Lentil - 15-4 / (RVL-15-4)	परिपक्वता अवधि 90-110 दिन, उत्पादकता 17.50 क्वि/हे., बड़े बीज (2.55 ग्राम), पौधा अर्ध सीधा, मध्यम ऊंचाई और चौड़ी पत्ती वाली शाखाएं इसे अंतर फसल के लिए उपयुक्त बनाती हैं, हानिकारक कीट, विल्ट, एस्को-काइटा ब्लाइट, रस्ट, रूट रॉट के प्रति सहनशील। बहुरोग प्रतिरोधी, वर्षा आधारित स्थिति, सूखे के लिए उपयुक्त, अधिक उपज देने वाली, मध्य प्रदेश की वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के अंतर्गत समय पर बुआई हेतु उपयुक्त है।	बीज उप समिति बैठक दिनांक 26.07.2022 के निर्देशों के अनुपालन उपरांत पुनः प्रस्तुत। म.प्र. राज्य क लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
3	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	सोयाबीन	Raj Vijay Soybean -124 / (RVS-124)	परिपक्वता अवधि 92 दिन, उत्पादकता 20.84 क्वि/हे., बीज में उत्कृष्ट दीर्घायु एवं अंकुरण क्षमता, शीघ्र परिपक्वता होती है, बहुरोग प्रतिरोधक क्षमता, भारी से हल्की मिट्टी, यांत्रिक कटाई और वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
4	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	अरहर	RVSA-14-2	मध्यम परिपक्वता अवधि 161 दिन, उत्पादकता 21.39 क्वि/हे., 100 बीज का वजन (ग्राम) - 9.84, बीज भूरा, बीज अंडाकार, मध्यम, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ मौसम में समय पर बुआई एवं अंतरफसल के लिए उपयुक्त, UPAS -120, TJT-501 का	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
				विकल्प है। मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	
5	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	अरहर	RVSA- 16-1	परिपक्वता अवधि 179-183 दिन, उत्पादकता 19.67-28.35 क्वि/हे., पौधे की ऊंचाई 160 सेमी है। मध्यम आकार के बीज, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, एकल फसल के साथ-साथ सोयाबीन / मूंग / उर्द की दलहनी फसल के साथ अंतर फसल, JKM-189 का विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	क्र. 3482(E) 07.10.2020 में दक्षिण क्षेत्र के लिए में अधिसूचित, मध्य के लिए क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्तावित, मध्य राज्य के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
6	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	उड़द	Raj Vijay Sehore Urd -1 / (RVSU- 1)	परिपक्वता अवधि 73-76 दिन, उत्पादकता 9-10 क्वि/हे., लांजिंग और शेटरिंग के प्रति सहनशील। बीज आकार मध्यम, बहुरोग प्रतिरोधी और MYMV (MR) और एन्थ्रेक्रोज के प्रति सहनशीलता। फली छेदक प्रतिरोधी, खरीफ और बसंत/ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त, पुरानी किस्मों NU-L 7, T-9, Pratap Urd- 1 का विकल्प है, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
7	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	मूंग	Raj Vijay Sehore Mung -1 / (RVSM- 1)	परिपक्वता अवधि 66 to 69 दिन, उत्पादकता 8.78 क्वि/हे., बीज का आकार मध्यम, बीज का रंग हरा, जल जमाव के प्रति प्रतिरोधी, बहुरोगों जैसे MYMV, ULCV, LCV और एन्थ्रेक्रोज के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ, रबी और ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त। बायोस्ट्रेस के लिये सहनशील,	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
				मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	
8	RVSKVV ग्वालियर (कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन्दौर)	भूंग	RVIM- 750-1	शीघ्र पकने वाली किस्म, परिपक्वता अवधि 59-79 दिन, उत्पादकता 10.80 क्वि./हे., पौधा सेमी इरेक्ट, लाजिंग और शेटरिंग के प्रति सहनशील, रोग LCV एवं ULCV के लिए प्रतिरोधी, एन्थ्रेकनोज, पाउडर फफून्दी, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, वाईएमबी के लिए मध्यम प्रतिरोधी। मारुका, पॉड बग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, खरीफ के साथ-साथ गर्मियों की खेती के लिए उपयुक्त। मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
9	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन्दौर)	ज्वार	CSV- 54HB / (RVJ - 2714) / (SPV- 2714)	परिपक्वता अवधि 121-127 दिन, कुल ताजा बायोमास 500 क्वि./हे., शुष्क बायोमास उपज: 258 क्वि./हे. कुल इथेनॉल उत्पादन 360 लीटर/टन बायोमास, पौधे की ऊंचाई 270-300 सेमी. व्यापक अनुकूलनशीलता और 2जी इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयुक्त, बरानी खेती में उच्च बायोमास किस्म, लीफ स्पॉट रोगों के प्रति सहनशील, तना छेदक और शूट फ्लाई के लिए मध्यम प्रतिरोधी, मध्य प्रदेश के बरानी क्षेत्रों में खरीफ मौसम की समय पर बुआई के लिए उपयुक्त, वर्षा आधारित उच्च बायोमास किस्म के रूप में पहचानी जाती है। औद्योगिक प्रयोजन एवं मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	अन्य राज्यों के लोगों के लिए गुजरात राज्या उच्चराखड के लिए 06.03.2023 को अधिसूचित, मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्तुत म.प्र राज्य के स्थित अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
10	RVSKVV ग्वालियर (कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन्दौर)	उड़द	Raj Vijay Indore Urd - 94-1 / (RVIU-94-1)	शीघ्र परिपक्वता अवधि 76 दिन, उत्पादकता 9.30 कि/हे., पौधा सेमी इरेक्ट, सभी रोगों और कीटों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, फलियों के चटकने और लॉजिंग के प्रति सहनशील, खरीफ एवं गर्मी की खेती के लिए उपयुक्त। प्रदेश के उच्च तापक्रम वाले क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।	ट्रायल के दौरान खण्डवा केन्द्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, प्रदेश के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में एक वर्ष और ट्रायल आयोजित करने निर्देशित किया।

एजेण्डा क्रमांक-6

एडवान्टा एण्टरप्राइजेस लिमि. हैदराबाद के द्वारा हायब्रिड मक्का एवं हायब्रिड धान फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों का प्रस्तुतिकरण:-

एडवान्टा एण्टरप्राइजेस लिमि. हैदराबाद के द्वारा हायब्रिड मक्का एवं हायब्रिड धान फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों के प्राप्त कुल 3 प्रजातियों के प्रस्तावों पर समिति द्वारा म.प्र राज्य हेतु अधिसूचित किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय/अनुसंशा का सारणीकृत विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	एडवांटा एंटरप्राइजेस लिमिटेड, हैदराबाद, (तेलंगाना)	हायब्रिड मक्का	PAC-745 Gold	परिपक्वता अवधि 95-100 दिन, उच्च उपज, उत्पादकता 65.41 कि/हे., दाना नारंगी पीला, सेमी पिलंट, अच्छी शेलिंग प्रतिशत, व्यापक रूप से अनुकूलित, कटाई के समय हरा रहना, टिप तक फिलिंग के साथ लंबे भुटटे, NCLB & Cob rot रोग के प्रति सहनशील, सूखा और नमी सहनशील, वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त, पोल्ट्री अहार के	यूपी राज्य के लिए दिनांक 20.07.2021 को अधिसूचित और एमपी के लिए क्षेत्र विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत। म.प्र राज्य के लिए अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा म.प्र. में एक बार पुनः विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्रों पर ट्रायल आयोजित


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228539
CG-DL-E-28072021-228539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2775]
No. 2775]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का. आ. 2986(अ).— बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंची है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के रूधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के कॉलम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समाचीन है, एतद्वारा घोषणा की जाती है कि बीजों के उक्त प्रकार या किस्में अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित होंगी और शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	जम्मू वासमती 118 (एसजेवीआर 118) (आईईटी 27733)	जम्मू एवं कश्मीर ।

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	काबुली चना	आरएलबी चना काबुली-1 (आरएलबीजीके-1)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा।
40.	सरसों	एसवीजेएच-108	हरियाणा।
41.	भारतीय सरसों	आजाद महक [(केएमआर (ई) 15-2)]	उत्तर प्रदेश।
42.	भारतीय सरसों	राधिका (डीआरएमआर 2017-18)	जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान।
43.	भारतीय सरसों	वृजराज (डीआरएमआरआईसी 16- 38)	जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान।
44.	बाकला	स्वर्ण गौरव	बिहार।
45.	बाकला	स्वर्ण सुरक्षा	बिहार।
46.	मूंग	पूसा 1641	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
47.	ग्वार	एक्स-10	हरियाणा।
48.	तोरिया	आजाद चेतना (टीकेएम 14-2)	उत्तर प्रदेश।
49.	तोरिया	राज विजय तोरिया 2 (आरएमटी 08-2)	मध्य प्रदेश।
50.	सोयाबीन	पूसा सोयाबीन 06	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
51.	सोयाबीन	आरवीएसएम-2011-35 (आरवीएसएम 35)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात।
52.	सोयाबीन	आईएस 138 (एनआरसी 138)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र।
53.	सोयाबीन	एएमएस 100-39 (पीडीकेवी अम्बा)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र।
54.	सोयाबीन	एमएसीएस-एनआरसी 1667	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कृष्णा नदी के तट पर जंग संभावित क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी महाराष्ट्र, बेलगावी, धारवाड़, हावेरी बीदर और बागलकोट जिले का पूरा क्षेत्र।
55.	सोयाबीन	केवीवीएस 1 (करुणे)	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग।
56.	सोयाबीन	राज विजय सोयाबीन [आरवीएस 76]	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात।
57.	सोयाबीन	आईएस 142 (एनआरसी 142)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र और मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र में दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी के

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032023-244182
CG-DL-E-07032023-244182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1015]
No. 1015]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2023/फाल्गुन 15, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2023/PHALGUNA 15, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

का.आ. 1056(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्में	किस्मों/संकरो का नाम	विक्री के लिए अनुशंसित संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चावल	खुली परागण वाली किस्म	स्वर्णा शृष्क धान (आरसीपीआर 56-आईआर93827-29-1-1-4) (आईईटी 27962)	उत्तर प्रदेश

131.	सूरजमुखी	संकर	आरएसएफएच-700	कर्नाटक
132.	कुसुम	खुली परागण वाली किस्म	परभणी सुवर्णा (पीबीएनएस-154)	महाराष्ट्र
133.	कुसुम	खुली परागण वाली किस्म	राज विजय कुसुम 18-3 (आरवीएसएएफएफ18-3)	मध्य प्रदेश
134.	कुसुम	संकर	आईएसएच-402	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
135.	अलसी का बीज	खुली परागण वाली किस्म	वर्षा अलसी 2 (आरएलसी-171)	हिमाचल प्रदेश, जम्मू - कश्मीर, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और नागालैंड
136.	अलसी का बीज	खुली परागण वाली किस्म	बिरसा तीसी-2 (वीएयू-14-09)	झारखंड
137.	अलसी का बीज	खुली परागण वाली किस्म	डीएलवी-6 (प्रभाकांत)	कर्नाटक
138.	रामतिल	खुली परागण वाली किस्म	जीएनएनआईजी-4 (कस्तूरी) एनएमवीपी-1907	गुजरात
139.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	फुले कावेरी (फुले तूर-11-4)	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा
140.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	फुले तृप्ति (फुले तुर-10-1)	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
141.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	रेणुका (बीडीएन 2013-2)	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
142.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	पीडीकेवी अक्षेपा (एकेटीएम 1637)	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़
143.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात टूर 107 (जीटी 107: बनासअभय) (एसकेएनपी 1608)	गुजरात
144.	अरहर	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात टूर 108 (जीटी 108: बनास उज्वल) (एसकेएनपी 1614)	गुजरात
145.	चना	खुली परागण वाली किस्म	एल 558 (जीएलके 17301)	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तराखंड के मैदानी भाग
146.	चना	खुली	पूसा जेजी 16 (बीजीएम	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249001
CG-DL-E-26092023-249001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4054]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 1945

No. 4054]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2023

का.आ. 4222(अ).—केन्द्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वीज समिति के साथ परामर्श के पश्चात यह राय रखती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट बीजों के प्रकार की क्वालिटी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट किस्म, पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट किस्म के नाम, उसके स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिनमें कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किया जाना है, का विनियमन किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है, यह घोषणा की जाती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से, ऐसे प्रकार या किस्म के बीज, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के लिए बीजों की अधिसूचित किस्म या प्रकार होंगे, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्में	किस्मों/संकरो का नाम	विक्री के लिए अनुशंसित संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चावल	खुली परागण वाली किस्म	28पी67	पंजाब और हरियाणा

44.	भारतीय सरसों	खुली परागण वाली किस्म	सीएस 64 (सीएस 2005-143)	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के मैदान और हिमाचल प्रदेश
45.	भारतीय सरसों	खुली परागण वाली किस्म	सम्पूर्ण (ओयूएटी कलिंगा सरसों 1)	ओडिशा
46.	भारतीय सरसों	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात सरसों 6 (वनास सोना) (एसकेएम 1328)	गुजरात
47.	भारतीय सरसों	खुली परागण वाली किस्म	आनंद हेमा (गुजरात सरसों 8) (एएनडीएम14-09)	गुजरात
48.	भारतीय सरसों	खुली परागण वाली किस्म	पंत राय-22 (पीआरएल-2013-17)	उत्तराखंड
49.	गोभी सरसों	खुली परागण वाली किस्म	हिम पालम सरसों 2 (एकेजीएस-19-8)	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर
50.	पीली सरसों	खुली परागण वाली किस्म	पंत पिली सरसों-2 (पीवाईएस-2016-8)	उत्तराखंड
51.	मूंगफली	खुली परागण वाली किस्म	मूंगफली बीआरआई 10 (बीजी 17008)	तमिलनाडु
52.	तिल	खुली परागण वाली किस्म	गुजरात तिल 7 (वनास गौरव) (एसकेटी 1501)	गुजरात
53.	तिल	खुली परागण वाली किस्म	बीआरआई 5 (वीएस 19036)	तमिलनाडु
54.	तिल	खुली परागण वाली किस्म	अश्रित (ओयूएटी कलिंगा तिल - 1)	ओडिशा
55.	कुसुम	खुली परागण वाली किस्म	आरबीएसएएफ-18-1 (राज विजय कुश 18-1)	कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड
56.	सूरजमुखी	संकर	सूरजमुखी सीओएच 4 (सीएसएच 15020)	तमिलनाडु
57.	अलसी	खुली परागण वाली किस्म	सबौर टीसी-4 (बीआरएलएस 121)	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम और नागालैंड
58.	अलसी	खुली परागण वाली किस्म	शुआट्स अलसी-4 (एसएच-4)	उत्तर प्रदेश
59.	अलसी	खुली परागण वाली किस्म	जवाहर अलसी सागर 122 (जेएलएस 122) (एसएलएस- 122)	मध्य प्रदेश
60.	अलसी	खुली परागण वाली किस्म	आज़ाद प्रजा (एलसीके 1516)	उत्तर प्रदेश

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल



क्रमांक/ई-1-बी/रा.बी.उ.स./2023-24/1586

भोपाल, दिनांक 12/10/2023

“विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. राज्य के लिये
अनुशंसित करने हेतु राज्य बीज उप समिति की
बैठक दिनांक 27.09.2023 का कार्यवाही विवरण”

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र./3-61/2017-एस.डी. IV, दिनांक 19.01.2018 के अनुक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं अन्य निजी संस्थाओं की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु, प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य बीज उप समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को बल्लभ भवन भोपाल प्रथम स्थित कक्ष क्रमांक 315 में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्यों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं/ अनुसंधान केन्द्रों के विषय विशेषज्ञ / वैज्ञानिक / पादप प्रजनक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट -1 संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बैठक में डॉ. मृणाल कुचलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर, डॉ. पी. के. कटियार, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. किरण गायकवाड, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. गनपति मुकरी, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. सुमन बक्सी, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, मुम्बई एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त, (गुणवत्ता नियन्त्रण), भारत सरकार वीडियो कान्फ्रेंस लिंक के माध्यम से सम्मिलित हुए।

STO (Seed)

[Handwritten signature]

E:\ALL_FOLDER_SFED_2022-23\MEETING_27-09-2023\1 A State Seed Sub Committee Meeting 27.09.2023\Minutes of Meeting 27.09.2023 final.docx

[Handwritten signature]
Director, Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

[Handwritten signature]

विवरण					
क्र.	अनुसंधान केन्द्र	फसल	प्रजाति	प्रजाति का विशेष गुण	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
				1, GW-322 and HI-1544 का बेहतर विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	
2	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	मसूर	Raj Vijay Lentil - 15-4 / (RVL-15-4)	परिपक्वता अवधि 90-110 दिन, उत्पादकता 17.50 क्वि/हे., बड़े बीज (2.55 ग्राम), पौधा अर्ध सीधा, मध्यम ऊंचाई और चौड़ी पत्ती वाली शाखाएं इसे अंतर फसल के लिए उपयुक्त बनाती हैं, हानिकारक कीट, विल्ट, एस्को-काइटा ब्लाइट, रस्ट, रूट रॉट के प्रति सहनशील। बहुरोग प्रतिरोधी, वर्षा आधारित स्थिति, सूखे के लिए उपयुक्त, अधिक उपज देने वाली, मध्य प्रदेश की वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के अंतर्गत समय पर बुआई हेतु उपयुक्त है।	बीज उप समिति बैठक दिनांक 26.07.2022 के निर्देशों के अनुपालन उपरान्त पुनः प्रस्तुत। म.प्र. राज्य क. लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
3	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	सोयाबीन	Raj Vijay Soybean -124 / (RVS-124)	परिपक्वता अवधि 92 दिन, उत्पादकता 20.84 क्वि/हे., बीज में उत्कृष्ट दीर्घायु एवं अंकुरण क्षमता, शीघ्र परिपक्वता होती है, बहुरोग प्रतिरोधक क्षमता, भारी से हल्की मिट्टी, यांत्रिक कटाई और वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।
4	RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर)	अरहर	RVSA-14-2	मध्यम परिपक्वता अवधि 161 दिन, उत्पादकता 21.39 क्वि/हे., 100 बीज का वजन (ग्राम) - 9.84, बीज भूरा, बीज अंडाकार, मध्यम, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ मौसम में समय पर बुआई एवं अंतरफसल के लिए उपयुक्त, UPAS -120, TJT-501 का	समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।

Minutes of the 86th meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops held through Video Conferencing on 15th March, 2021 under the Chairmanship of Dr. T.R. Sharma, Deputy Director General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi

Member Secretary, Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops welcomed the Chairman, members and special invitees of the Sub-Committee in the 86th meeting (list of participants attached at *Annexure-1*) and briefed about the proposals to be discussed and the norms for consideration of the proposals. The Chairman also welcomed all and appreciate timely organisation of the meeting. Member Secretary requested ADG (Seed) to make presentation on various proposals to be considered by committee. Based on the for presentation made by ADG (Seed), ICAR and further discussion over the various proposals, item wise recommendations/ approval of the committee is given as blow:

Item No.1: Confirmation of the minutes of 85th meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops held on 09th November, 2020

The minutes of 85th meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops have also been circulated to all and also available at the DAC&FW Website www.seednet.gov.in. The Committee noted and accordingly confirmed the minutes. The Gazette Notification S.O. No. 500 (E), dated 29th January, 2021 of the varieties released in 85th meeting is already published and is available at <http://www.egazette.nic.in>.

In respect to the minutes and notification of 85th meeting of CSC on CSN & RV this division has received the comments from Director, IIWBR, Karnal, who has informed that due to typographical error the states of following wheat varieties released and recommended for notification have been exchanged, the correct status is under:

Sr. No.	Crop	Variety	Recommended state as reflected in gazette notification	Corrected recommended states
1.	Wheat	NIDW 1149 (Durum)	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western UP (except Jhansi division), Part of J&K (Jammu and Kathua Distt.), Parts of HP (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region)	Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu
2.	Wheat	WB 02 (Rajendra Gehun 3)	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western UP (except Jhansi division), Parts of J&K (Jammu & Kathua Distt.), Parts of HP (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region)	Bihar
3.	Wheat	DBW 187 (Karan Vandana)	Bihar.	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western Uttar Pradesh (except Jhansi division), parts of Jammu and Kashmir (Jammu & Kathua Distt.), parts of Himachal Pradesh (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region)

Accordingly necessary amendment can be made.

D.K. Sw

1

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

R.V.S.K.V.V.
Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Sr. No.	Crop	Variety	Recommended area	Sponsoring Authority
				Bharatpur (Rajasthan)
13.	Soybean	RVSM 2011-35 (RVSM 35)	Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Marathwada and Vidarb Region of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat.	Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Visvavidhyalaya, Gwalior (Madhya Pradesh)
14.	Soybean	IS 138 (NRC 138)	Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Marathwada and Vidarb Region of Maharashtra.	ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)
15.	Soybean	AMS 100-39 (PDKV Amba)	Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Marathwada and Vidarb Region of Maharashtra.	Panjabrao Deshmukh Krishi Vishwavidhyalaya, Akola (Maharashtra)
16.	Soybean	MACSNRC 1667	Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu excluding rust prone areas on bank of river Krishna like Southern Maharashtra, entire area of Belagavi, Dharwad, Haveri Bidar & Bagalkot district.	Agarkar Research Institute, Pune and ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)
17.	Soybean	KBVS 1 (Karune)	Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Southern part of Maharashtra.	ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)
18.	Soybean	Raj Vijay Soybean [RVS 76]	Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Marathwada and Vidarb Region of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat.	Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Visvavidhyalaya, Gwalior (Madhya Pradesh)
19.	Soybean	IS 142 (NRC 142)	Madhya Pradesh, Budelkhand region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Marathwada and Vidarb region of Maharashtra in Central Zone and Southern Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu in South Zone excluding rust prone areas on bank of river Krishna like Southern Maharashtra, entire area of Belagavi, Dharwad, Haveri Bidar & Bagalkot district.	ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)
20.	Soybean	SL 1074	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh (except Budelkhand region of Uttar Pradesh) and Delhi.	Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab)
21.	Soybean	SL 1028	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh (except Budelkhand region of Uttar Pradesh) and Delhi.	Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab)

[Handwritten Signature]

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

[Handwritten Signature]



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	आरएच 150025 (एडीवी, 8082)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
2.	चावल	जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
3.	चावल	जेकेआरएच 2154	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार

689 GI/2021

(1)

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
		(सीजी लोचन चना)	
72.	चना	पीवीजी 9 (जीएल 13001)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल।
73.	चना	कोटा काबुली चना -2 (आरकेजीके 13-499)	राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर।
74.	चना	पीडीकेवी-कनक (एकेजी-1303)	महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश।
75.	चना	पूसा चना 20211 (पूसा चना मानव)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
76.	चना	राज विजय चना 210 (आरवीजी 210)	मध्य प्रदेश।
77.	चना	राज विजय चना 121 (आरवीकेजी 121)	मध्य प्रदेश।
78.	मसूर	आरकेएल 58 एफ 3715 (कोटा मसूर 4)	छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र), राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग।
79.	मसूर	आईपीएल 329	उत्तर प्रदेश।
80.	मसूर	आईपीएल 225	उत्तर प्रदेश।
81.	अरहर	एलआरजी 133-33	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
82.	अरहर	संकर: आईपीएच 09-5	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र।
83.	अरहर	आईपीए 15-2	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्से।
84.	अरहर	डब्ल्यूआरजीई-121	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु।
85.	मटर	एचएफपी1428	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से।
86.	अरण्डी	जवाहर अरण्डी -26 (जेसी-26)	मध्य प्रदेश



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
1.	चावल	आरएच 150025 (एडीवी, 8082)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
2.	चावल	जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
3.	चावल	जेकेआरएच 2154	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
54.	मक्का	एनएमएच -731	असम।
55.	मक्का	एनएमएच -920	असम।
56.	मक्का	वीएल क्यूपीएम संकर 59 (एफक्यूएच 106)	उत्तराखंड (पहाड़ी)।
57.	मक्का	पंत संकर मक्का-5 (पीएसएम-5)	उत्तराखंड (पहाड़ी)।
58.	मक्का	जवाहर मक्का 215 (सीएचएच 215)	मध्य प्रदेश।
59.	ज्वार	सीएसएच-42 (एसपीएच -1883) (ज्वार)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और, गुजरात।
60.	वाजरा	एमपी7366 (एमएसएच 346)	राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
61.	वाजरा	वीपीएमएच-7	कर्नाटक।
62.	कुटकी	सीएलएमवी 1 (जेएआईसीएआर सामा-1/ एलएमवी 518)	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी।
63.	कोदों	गुजरात आनंद कोड्रा -3 (जीके-3)	गुजरात।
64.	रागी	सीएफएमवी 2 (एफएमवी 1118) (जीएन-9 /गिरा)	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा।
65.	रागी	सीएफएमवी 1 (इंद्रावती) (एफएमवी 1116) (वीआर 1101) (रागी)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी और ओडिशा।
66.	रागी	वीएल मंडुआ 378	उत्तराखंड।
67.	रागी	वीएल मंडुआ 382	उत्तराखंड।
68.	चना	जवाहर चना काबुली 6 (जेजीके 6) (जेजीके 2017-32)	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर।
69.	चना	राज विजय चना 204 (आरवीजी 204)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से।
70.	चना	राज विजय काबुली चना 2020 (आरवीकेजी 2020) (आरवीएसएसजी 63)	पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान।
71.	चना	आरजी 2015-08	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।


 Director Research Service
 R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified

 Registrar
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
1.	चावल	आरएच 150025 (एडीवी, 8082)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
2.	चावल	जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
3.	चावल	जेकेआरएच 2154	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार

689 GI/2021

(1)
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		(सीजी लोचन चना)	
72.	चना	पीवीजी 9 (जीएल 13001)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल।
73.	चना	कोटा काबुली चना -2 (आरकेजीके 13-499)	राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर।
74.	चना	पीडीकेवी-कनक (एकेजी-1303)	महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश।
75.	चना	पूसा चना 20211 (पूसा चना मानव)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
76.	चना	राज विजय चना 210 (आरवीजी 210)	मध्य प्रदेश।
77.	चना	राज विजय चना 121 (आरवीकेजी 121)	मध्य प्रदेश।
78.	मसूर	आरकेएल 58 एफ 3715 (कोटा मसूर 4)	छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र), राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग।
79.	मसूर	आईपीएल 329	उत्तर प्रदेश।
80.	मसूर	आईपीएल 225	उत्तर प्रदेश।
81.	अरहर	एलआरजी 133-33	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
82.	अरहर	संकर: आईपीएच 09-5	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र।
83.	अरहर	आईपीए 15-2	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्से।
84.	अरहर	डब्ल्यूआरजीई-121	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु।
85.	मटर	एचएफपी1428	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से।
86.	अरण्डी	जवाहर अरण्डी -26 (जेसी-26)	मध्य प्रदेश

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
1.	चावल	आरएच 150025 (एडीवी, 8082)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
2.	चावल	जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
3.	चावल	जेकेआरएच 2154	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार

689 GI/2021

(1)
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
54.	मक्का	एनएमएच -731	असम।
55.	मक्का	एनएमएच -920	असम।
56.	मक्का	वीएल क्यूपीएम संकर 59 (एफक्यूएच 106)	उत्तराखंड (पहाड़ी)।
57.	मक्का	पंत संकर मक्का-5 (पीएसएम-5)	उत्तराखंड (पहाड़ी)।
58.	मक्का	जवाहर मक्का 215 (सीएचएच 215)	मध्य प्रदेश।
59.	ज्वार	सीएसएच-42 (एसपीएच -1883) (ज्वार)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात।
60.	वाजरा	एमपी7366 (एमएसएच 346)	राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
61.	वाजरा	वीपीएमएच-7	कर्नाटक।
62.	कुटकी	सीएलएमवी 1 (जेएआईसीएआर सामा-1/ एलएमवी 518)	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी।
63.	कोदों	गुजरात आनंद कोड़ा -3 (जीएके-3)	गुजरात।
64.	रागी	सीएफएमवी 2 (एफएमवी 1118) (जीएन-9 /गिरा)	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा।
65.	रागी	सीएफएमवी 1 (इंद्रावती) (एफएमवी 1116) (वीआर 1101) (रागी)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी और ओडिशा।
66.	रागी	वीएल मंडुआ 378	उत्तराखंड।
67.	रागी	वीएल मंडुआ 382	उत्तराखंड।
68.	चना	जवाहर चना काबुली 6 (जेजीके 6) (जेजीके 2017-32)	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर।
69.	चना	राज विजय चना 204 (आरवीजी 204)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से।
70.	चना	राज विजय काबुली चना 2020 (आरवीकेजी 2020) (आरवीएसएसजी 63)	पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान।
71.	चना	आरजी 2015-08	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।

Verified

Registrar

R.V.S.K.V.V., Gwalior

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222299
CG-DL-E-08102020-222299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3099]
No. 3099]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ ASVINA 15, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3482(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय रखते हुए कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) के अधीन की गई विनिर्दिष्ट प्रकार की उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार अधिनियम की प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्म या प्रकार होंगी और शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं	प्रकार	किस्म	विक्रय के लिए अनुसंशित किए गए राज्य
(1)	(2).	(3)	(4)
1.	चावल	छत्तीसगढ़ चावल संकर-2 (आईआरएच 103) (आई.ई.टी. 24956)	छत्तीसगढ़

4773 GI/2020

(1)
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

61.	फाक्सटेल बाजरा	रेनादु (एसआईए 3223)	आंध्र प्रदेश
62.	फाक्सटेल बाजरा	हगारी नवाने 46 (एचएन-46)	कर्नाटक
63.	फाक्सटेल बाजरा	एटीएल 1 (टीएनएसआई 331)	तमिलनाडु
64.	रागी	केएमआर- 630	कर्नाटक
65.	रागी	वीआर 988	आंध्र प्रदेश
66.	रागी	कलुआ (ओईबी 532)	ओडिशा
67.	अनाज राजगीरा	बीजीए 4-9 (सुवादरा)	ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात
68.	अनाज राजगीरा	केबीजीए-4	कर्नाटक
69.	चना	जवाहर ग्राम 24 (जेजी 24) (जेजी 2016-24)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र
70.	चना (डी)	आईपीसी 2004-01	उत्तर प्रदेश
71.	चना (डी)	कोटा देसी चना -1 (आरकेजी 13-515)	राजस्थान
72.	चना (के)	कोटा काबुली चना -1 (आरकेजीके 13-271)	राजस्थान
73.	चना (डी)	आईपीसी 2011-112	उत्तर प्रदेश
74.	चना	छत्तीसगढ़ चना- 2 (सीजी चना -2)	छत्तीसगढ़
75.	चना	नंदयाल ग्राम 452 (एनबीईजी 452)	आंध्र प्रदेश
76.	मटर	पुसा अरहर- 151 (पुसा 151)	बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं असम
77.	मटर	राज विजय अरहर 19 (आरवीए 19) (आरवीएसए-16-1)	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा
78.	मटर	आईपीए 206	उत्तर प्रदेश
79.	मटर	छत्तीसगढ़ अरहर-1 (आरपीएस 2007-10)	छत्तीसगढ़
80.	मटर	वरांगल कंदी-1 (डब्ल्यूआरजीई-97)	तेलंगाना
81.	मटर	कृष्णा (एलआरजी 105)	आंध्र प्रदेश
82.	मटर	तिरूपत्ति कंदी 59 (टीआरजी-59)	आंध्र प्रदेश
83.	मटर	गुजरात तूर 105 (जीटी-105: जानकी)	गुजरात
84.	मूंग	आजाद मूंग 1 (केएम 2342)	उत्तर प्रदेश
85.	मूंग	एमएच- 1142	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।


4658 GI/2019

(1)

[Signature]
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	(समई)		
53.	रागी	जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)	गुजरात।
54.	रागी	तिरूमाला (पीपीआर 1012)	आंध्र प्रदेश।
55.	रागी	वेगावती (बीआर 929)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
56.	जई (सिंगल कट)	सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225) (शालीमार फोडुर ओट-6)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
57.	जई (गल कटसिं)	बुंदेल जय-2015-1	हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
58.	लंबा फेसस्क्यू घास	पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू- कश्मीर।
59.	चने की दाल	त्रिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.
60.	लोबिया	विधान मदाबहार (बीसीसीपी-3)	पश्चिम बंगाल।
61.	चना	पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)	महाराष्ट्र।
62.	काला चना	घंटसाला मिनुमु 1 (जीबीजी 1)	आंध्र प्रदेश।
63.	मसूर	आरवीएल 13-7 राज विजय लेन्टिल 13-7)	मध्य प्रदेश।
64.	मसूर	RVL 13-5 राज विजय लेन्टिल 13-5)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
65.	ग्रासपी (लैथिरस सैटिवस)	विधान खेसारी-1 बीके-14-1(एलएटी 15- 6)	पश्चिम बंगाल।
66.	मसूर	शालीमार मसूर-3	जम्मू - कश्मीर।
67.	अरहर	रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी 2012-25)	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
68.	राजमा बीन	फुले राजमा (GRB-902)	महाराष्ट्र।
69.	उड़दबीन/ काला चना	पंत उड़द 10 (पीयू 10-23)	जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर।
70.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204) (आरवीएसएसजी 8102)	मध्य प्रदेश।
71.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205) (आरवीएसएसजी 32)	मध्य प्रदेश।
72.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी 111) (आरवीएसएसजी 24)	मध्य प्रदेश।
73.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी 151) (आरवीएसएसजी 37)	मध्य प्रदेश।
74.	काबुली चना	पूर्वा (जीएनजी-2299)	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और मणिपुर।


 Director Research Service
 R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified

 Registrar
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।

4658 GI/2019

(1)

R.V.S.K.V.V.
Director, Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	(समई)		
53.	रागी	जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)	गुजरात।
54.	रागी	तिरूमाला (पीपीआर 1012)	आंध्र प्रदेश।
55.	रागी	वेगावती (वीआर 929)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
56.	जई (सिंगल कट)	सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225) (शालीमार फोडुर ओट-6)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
57.	जई (गल कटसिं)	बुंदेल जय-2015-1	हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
58.	लंबा फेसस्क्यू घास	पालत फेस्क्यू घास-2 (हिमा 14)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू- कश्मीर।
59.	चने की दाल	बिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.
60.	लोबिया	विधान सदाबहार (वीसीसीपी-3)	पश्चिम बंगाल।
61.	चना	पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)	महाराष्ट्र।
62.	काला चना	घंटसाला मिनुमु 1 (जीवीजी 1)	आंध्र प्रदेश।
63.	मसूर	आरवीएल 13-7 राज विजय लेन्टिल 13-7)	मध्य प्रदेश।
64.	मसूर	RVL 13-5 राज विजय लेन्टिल 13-5)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
65.	घासपी (लैथिरस सैटिवस)	विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15- 6)	पश्चिम बंगाल।
66.	मसूर	शालीमार मसूर-3	जम्मू - कश्मीर।
67.	अरहर	रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी 2012-25)	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
68.	राजमा बीन	फुले राजमा (GRB-902)	महाराष्ट्र।
69.	उड़दबीन/ काला चना	पंत उड़द 10 (पीयू 10-23)	जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर।
70.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204) (आरवीएसएसजी 8102)	मध्य प्रदेश।
71.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205) (आरवीएसएसजी 32)	मध्य प्रदेश।
72.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी 111) (आरवीएसएसजी 24)	मध्य प्रदेश।
73.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी 151) (आरवीएसएसजी 37)	मध्य प्रदेश।
74.	काबुली चना	पूर्वा (जीएनजी-2299)	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और मणिपुर।

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।


4658 GI/2019

(1)

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	(समई)		
53.	रागी	जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)	गुजरात।
54.	रागी	तिरूमाला (पीपीआर 1012)	आंध्र प्रदेश।
55.	रागी	वेगावती (वीआर 929)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
56.	जई (सिंगल कट)	सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225) (शालीमार फोडुर ओट-6)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
57.	जई (गल कटसिं)	बुंदेल जय-2015-1	हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
58.	लंबा फेसस्क्यू घास	पालत फेस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू- कश्मीर।
59.	चने की दाल	बिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.
60.	लोबिया	बिधान सदाबहार (बीसीसीपी-3)	पश्चिम बंगाल।
61.	चना	पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)	महाराष्ट्र।
62.	काला चना	घंटसाला मिनुमु 1 (जीबीजी 1)	आंध्र प्रदेश।
63.	मसूर	आरवीएल 13-7 राज विजय लेन्टिल 13-7)	मध्य प्रदेश।
64.	मसूर	RVL 13-5 राज विजय लेन्टिल 13-5)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
65.	ग्रासपी (लैथिरस सैटिवस)	बिधान खेसारी-1 बीके-14-1(एलएटी 15- 6)	पश्चिम बंगाल।
66.	मसूर	शालीमार मसूर-3	जम्मू - कश्मीर।
67.	अरहर	रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी 2012-25)	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
68.	राजमा बीन	फुले राजमा (GRB-902)	महाराष्ट्र।
69.	उड़दबीन/ काला चना	पंत उड़द 10 (पीयू 10-23)	जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर।
70.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204) (आरवीएसएसजी 8102)	मध्य प्रदेश।
71.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205) (आरवीएसएसजी 32)	मध्य प्रदेश।
72.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी 111) (आरवीएसएसजी 24)	मध्य प्रदेश।
73.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी 151) (आरवीएसएसजी 37)	मध्य प्रदेश।
74.	काबुली चना	पूर्वा (जीएनजी-2299)	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और मणिपुर।


 Director Research Service
 R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified

 Registrar
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।

4658 GI/2019

(1)

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	(समई)		
53.	रागी	जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)	गुजरात।
54.	रागी	तिरूमाला (पीपीआर 1012)	आंध्र प्रदेश।
55.	रागी	वेगावती (वीआर 929)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
56.	जई (सिंगल कट)	सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225) (शालीमार फोडुर ओट-6)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
57.	जई (गल कटसिं)	बुंदेल जय-2015-1	हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
58.	लंबा फेसस्क्यू घास	पालत फेस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू- कश्मीर।
59.	चने की दाल	बिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.
60.	लोबिया	विधान सदाबहार (बीसीसीपी-3)	पश्चिम बंगाल।
61.	चना	पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)	महाराष्ट्र।
62.	काला चना	घंटसाला मिनुमु 1 (जीबीजी 1)	आंध्र प्रदेश।
63.	मसूर	आरवीएल 13-7 राज विजय लेन्टिल 13-7)	मध्य प्रदेश।
64.	मसूर	RVL 13-5 राज विजय लेन्टिल 13-5)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
65.	ग्रासपी (लैथिरस सैटिवस)	विधान खेसारी-1 बीके-14-1(एलएटी 15- 6)	पश्चिम बंगाल।
66.	मसूर	शालीमार मसूर-3	जम्मू - कश्मीर।
67.	अरहर	रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी 2012-25)	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
68.	राजमा बीन	फुले राजमा (GRB-902)	महाराष्ट्र।
69.	उड़दबीन/ काला चना	पंत उड़द 10 (पीयू 10-23)	जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर।
70.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204) (आरवीएसएसजी 8102)	मध्य प्रदेश।
71.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205) (आरवीएसएसजी 32)	मध्य प्रदेश।
72.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी 111) (आरवीएसएसजी 24)	मध्य प्रदेश।
73.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी 151) (आरवीएसएसजी 37)	मध्य प्रदेश।
74.	काबुली चना	पूर्वा (जीएनजी-2299)	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और मणिपुर।

R.V.S.K.V.V.
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।


4658 GI/2019

(1)

R.V.S.K.V.V.
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

	(समई)		
53.	रागी	जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)	गुजरात।
54.	रागी	तिरूमाला (पीपीआर 1012)	आंध्र प्रदेश।
55.	रागी	वेगावती (वीआर 929)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
56.	जई (सिंगल कट)	सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225) (शालीमार फोडुर ओट-6)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
57.	जई (गल कटसिं)	बुंदेल जय-2015-1	हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
58.	लंबा फेसस्क्यू घास	पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू- कश्मीर।
59.	चने की दाल	बिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.
60.	लोबिया	विधान सदाबहार (बीसीसीपी-3)	पश्चिम बंगाल।
61.	चना	पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)	महाराष्ट्र।
62.	काला चना	घंटसाला मिनुमु 1 (जीबीजी 1)	आंध्र प्रदेश।
63.	मसूर	आरवीएल 13-7 राज विजय लेन्टिल 13-7)	मध्य प्रदेश।
64.	मसूर	RVL 13-5 राज विजय लेन्टिल 13-5)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
65.	ग्रासपी (लैथिरस सैटिवस)	विधान खेसारी-1 बीके-14-1(एलएटी 15- 6)	पश्चिम बंगाल।
66.	मसूर	शालीमार मसूर-3	जम्मू - कश्मीर।
67.	अरहर	रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी 2012-25)	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
68.	राजमा बीन	फुले राजमा (GRB-902)	महाराष्ट्र।
69.	उड़दबीन/ काला चना	पंत उड़द 10 (पीयू 10-23)	जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर।
70.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204) (आरवीएसएसजी 8102)	मध्य प्रदेश।
71.	काबुली चना	राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205) (आरवीएसएसजी 32)	मध्य प्रदेश।
72.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी 111) (आरवीएसएसजी 24)	मध्य प्रदेश।
73.	काबुली चना	राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी 151) (आरवीएसएसजी 37)	मध्य प्रदेश।
74.	काबुली चना	पूर्वा (जीएनजी-2299)	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और मणिपुर।


 Director Research Service
 R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified

 Registrar
 R.V.S.K.V.V., Gwalior

प्रारूप आरजी - 2
Form RG - 2



भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

क्रमांक
No. 2293093

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4133084

दिनांक /Date 30/03/2019

ज. संख्या /J. No. 1903

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह
के बारे में दिनांक नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-
RAJMATA VJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, Raja Pancharam Singh Marg, Gwalior - 474002, Madhya Pradesh, A Statutory
Body, (Statutory Body)

In Class 31 Under No. 4133084 as of the date 30 March 2019 in respect of

Agricultural seeds, agriculture, horticulture, forestry products, wheat, grains, cattle foods

RAJVIJAY

मेरे निर्देश पर आज के मास के वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई
Sealed at my direction, this 11th day of October, 2019



OKSudh

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह 10 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 10 वर्ष की कालावधि के प्रवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकता है।

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाही में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अधिष्ठापन करने के लिए नहीं है।

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के बारे में या भारत में तारीख के लिए पता में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरंत किया जाना चाहिए।

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

प्रारूप आरजी - 2
Form RG - 2



भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

क्रमांक
No. 2293094

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule-56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4133085

दिनांक / Date 30/03/2019

ज. संख्या / J. No. 1903

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह
के बारे में दिनांक नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of:-
RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, Raja Panoram Singh Marg, Gwalior - 474002, Madhya Pradesh, A Statutory
Body, (Statutory Body)

In Class 35 Under No. 4133085 as of the date 30 March 2019 in respect of

Advertising, marketing, sales promotion, services provided by retail stores, wholesale outlets related to Agricultural seeds, agriculture, horticulture, forestry
products, wheat, grains, cattle foods

RAJVIJAY

मेरे निर्देश पर आज के मास के वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई

Sealed at my direction, this 11th day of October, 2019



OKrajvi

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह 10 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 10 वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकता है।
Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अर्जित करने के लिए नहीं है।
This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तत्काल के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरंत किया जाना चाहिए।

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.

R.V.S.K.V.V.
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री/Trade Marks Registry

बौद्धिक संपदा भवन/Boudhik Sampada Bhawan,
एस.एम. रोड/S. M. Road,
एन्टोप हिल/ Antop Hill,
मुंबई/Mumbai-400037

संख्या: आर एल सी/RLC/248781

दिनांक/Date 11/09/2016 1:27:48
PM

विषय: पंजीकृत व्यापार चिह्न संख्या 1484851 वर्ग 31
Subject : Renewal of registration of Trade Mark No 1484851 Class 31

आपको यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत व्यापार चिह्न संख्या 1484851 वर्ग 31 का नवीकरण दिनांक 06/09/2016 से अगले 10 वर्षों की अवधि तक किया गया है।

I have to inform you that the Registration of Trade Mark No 1484851 in class 31 has been renewed for a period of Ten years from the 06/09/2016

नवीकरण संबंधी सूचना व्यापार चिह्न पत्रिका संख्या .1763 में विज्ञापित की गई है।
The renewal is being advertised in the Trade Mark Journal No. 1763



भवदीय/Yours faithfully

KABheris
कृते पंजीकार व्यापार चिह्न
For Registrar of Trade Marks

To,
IPR LAW ASSOCIATES (MUMBAI)
GYAN BHAVAN, GROUND FLOOR, 8,
KUMTHA STREET, BALLARD ESTATE,
MUMBAI-400 001.

*This is a computer generated certificate, hence no signature required.

PLS
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	किस्म	प्रकार	विक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19)	त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु।
2.	चावल	मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)	पश्चिम बंगाल।
3.	चावल	जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)	कर्नाटक।
4.	चावल	जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)	गुजरात।
5.	चावल	जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)	गुजरात।
6.	चावल	शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)	जम्मू - कश्मीर।

4658 GI/2019

(1)

846
Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

97.	पटसन	विधान पैट-5 (BCCC-2)	पश्चिम बंगाल
98.	मेस्टा (लेरोज़)	एएमवी-8 (एएचएस-216)	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार।
99.	एचएस मेस्टा (रोज़ले)	एएमवी 9 (आदित्या) (एएचएस-230)	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य।
100.	एचएस मेस्टा (रोज़ले)	सेंट्रल रोसेले जेआरएचएस-1	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
101.	अन्न अमरनाथ	छत्तीसगढ़ राजगिरा -1 (अम्बिका जीए 12-1)	छत्तीसगढ़
102.	कपास संकर	जीएन कॉट. एचवाई-18 (जीएसएचएच-2759)	गुजरात
103.	कपास	आरवीके-11 (राज विजय कपास -11) (आईएच 11)	तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
104.	कपास (देशी)	पीए-740	महाराष्ट्र (मराठवाड़ा क्षेत्र के कपास उगाने वाले क्षेत्र), तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश की स्थिति (दक्षिण क्षेत्र) के तहत।
105.	गन्ना	स्वर्णमुखी (2005टी16) (सीओटी 10367)	आंध्र प्रदेश।
106.	गन्ना	रंगा (2009 वी 127) (सीओ वी 15-356)	आंध्र प्रदेश।
107.	गन्ना	वीएसआई 12121 (वीएसआई 08005)	महाराष्ट्र।
108.	गन्ना	ईक्षु-6 (सीओएलके 12207)	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम।
109.	गन्ना	ईक्षु-7 (सीओएलके 12209)	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम।

[फा.सं. 3-71/2019-एसडी-IV]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019

S.O. 3220(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified under column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries under column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the purposes of the Act and shall be sold for purpose of agriculture in the States mentioned in the corresponding entries under column (4) of the said Table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—


Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Verified
Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

3.4.2 Number of Patents awarded during the last five years

3.4.2.1: Total number of Patents awarded year-wise during the last five years

Name of the Faculty/student author of the patent	Patent Number	Date of Award	Patent Awarding Agency
RVSKVV-KVK, Jhabua	GI Tag No. 378	25.06.2024	Geographical Indication Registry
RVSKVV, GWALIOR	ISO Certificate No: 24MEEST07	18.05.2024	Magnitude Management Services Pvt Ltd
Dr S K Sharma	Copyright Diary No: 17027/2024-CO/A	28.05.2024	Ministry of Commerce and Industry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 2021 (RVKG 2021) {S.O. 1560 (E)}	26.03.2024	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 2K21 {S.O. 1560 (E)}	26.03.2024	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Tirunima Patle & Dr S K Sharma	Application Number 202221026571 Patent Number 429084	17.04.2023	The Patent Office, GOI
Dr Ashok Saxena	Pigeonpea (04), RVSA 14-2, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Ashok Saxena & Dr Lekharam	Lentil (05), RVL 15-4, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena	Urd, RVSU -1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena	Moong (02), RVSM- 1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Induswoorup	Moong (02), RVIM 750-1, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr Sudhanshu Jain	Wheat (03), TRVW 155, SVRC	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr S R Ramgiry	Raj Vijay Soybean 76 (RVS 76) {S.O. 2986 (E)}	20.07.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M K Saxena	Safflower (04), RVSF 18-3, SVRC	06.03.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M K Saxena	Safflower (04), RVSF 18-1, Centrally Notified	04.12.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr S R Ramgiry	Soybean (06), RVS 124 (Raj vijay soybean 124)	12.10.2023	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr V K Tiwari	Soybean (06), RVSM 2011-35, S.O.2986 (E)	20.07.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 210 {S.O. 500 (E) 05.01.2021}	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) {S.O. 500 (E)}	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 121 (RVKG 121) {S.O. 500 (E)}	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 2020 (RVKG 2020) {S.O. 500 (E)}	29.01.2021	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A N Tikle	Raj Vijay Sehore Arhar 16-1 (RVSA 16-1) {S.O. 3482 (E)}	07.10.2020	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Gram 205 (RVG 205) {S.O. 3220 (E)}	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 151 (RVKG 151) {S.O. 3220 (E)}	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr M Yasin	Raj Vijay Kabuli Gram 111 (RVKG 111) {S.O. 3220 (E)}	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A K Saxena	Raj Vijay Lentil 13-5 (RVL 13-5) {S.O. 3220 (E)}	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr A K Saxena	Raj Vijay Lentil 13-7 (RVL 13-7) {S.O. 3220 (E)}	05.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
RVSKVV, GWALIOR	RAJVIJAY TRADE MARK	30.03.2019	GOI Trade Marks Registry
Dr D K Shrivastav	Cotton (02), RVK 11, (SO 3220 (E)	06.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr H Patidar	Safed Musali (02), Raj Vijay Safed Musli-412, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr H Patidar	Asalio / Chandrasoor, Raj Vijay Asalio-1001, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry

Verified

Director Research Service
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.)

Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior

DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002

Dr K S Tomar	Guava (04), Gwalior-Bahar, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-8, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-21, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry
Dr K S Tomar	Guava, Gwalior-27, SVRC	26.09.2019	Agriculture and Farmers welfare Ministry

Verified

Registrar
R.V.S.K.V.V., Gwalior




DIRECTOR RESEARCH SERVICES
R.V.S.K.V.V., Gwalior (M.P.) 474 002